खण्ड-286, अंक-1
सोमवार, 16 अग्रहायण, शक संवत् 1892
(7 दिसम्बर, 1970 ई0)

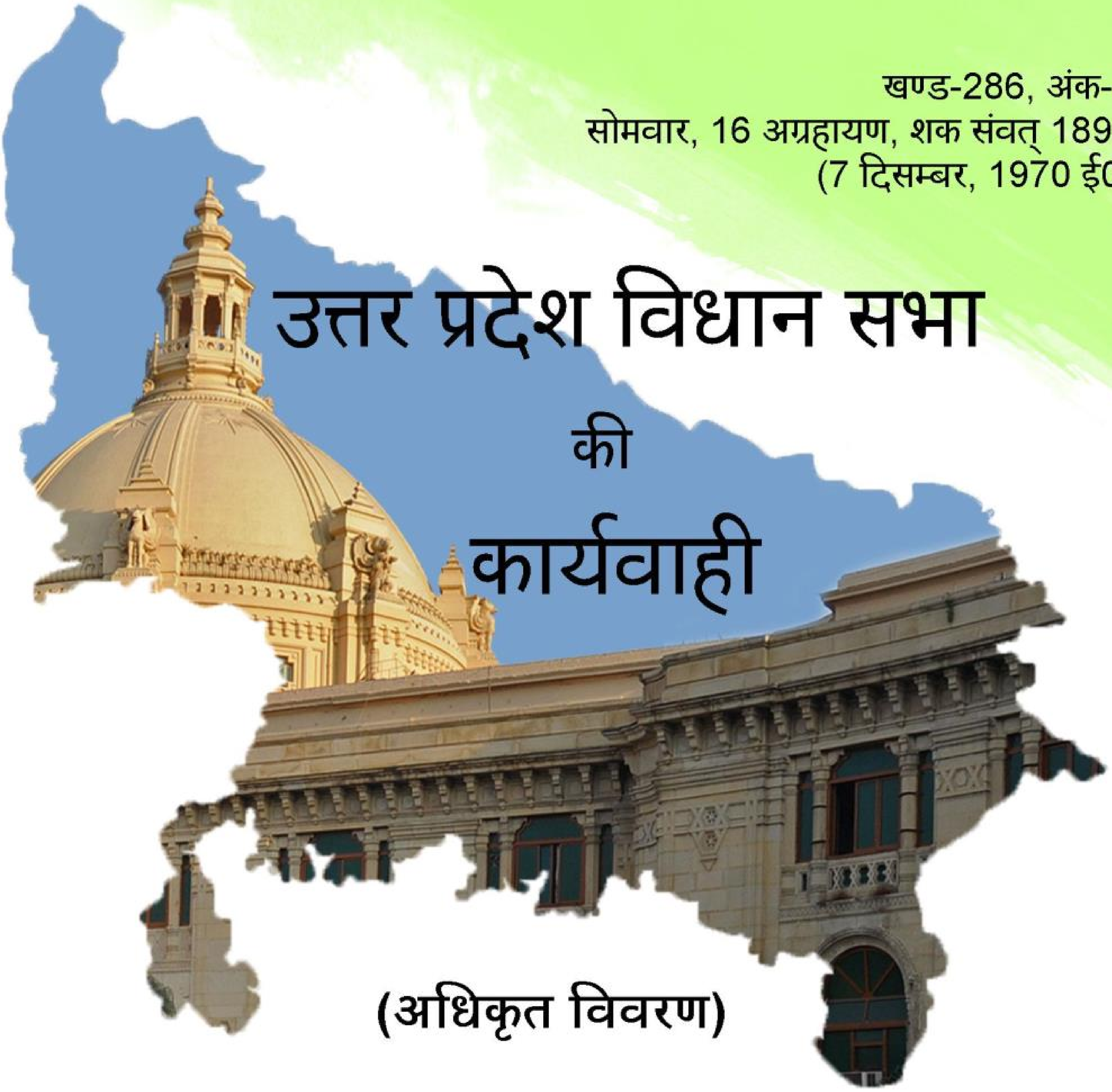

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 286 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

(७ दिसम्बर, १९७०)

विषय	पृष्ठ संख्या
पस्थित सदस्य ..	१-५
श्नोत्तर ..	६-११
दन के नेता के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	११-३०
ेथयां ..	३१-३२

(८ दिसम्बर, १९७०)

पस्थित सदस्य ..	३३-३७
दन के नेता के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	३७-४२
नोत्तर ..	४३-७१
सदस्य, सर्वश्री फूल सिंह, नियामत उल्ला अंसारी, चुन्नी लाल, का राम पुजारी, मुहम्मद हुसेन, दशरथ प्रसाद, रमाकांत सिंह, द्रदेव त्रिपाठी तथा सर सी० वी० रमन, श्री शम्भू महाराज व पति नासिर के निधन पर शोकोद्गार ..	७२-७७
देश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९७० कानपुर तथा विश्वविद्यालय (संक्रमण कालीन उपबन्ध) अध्यादेश, १९७० दन के पटल पर रखे गये) ..	७७-७९
देश एवाइज (संशोधन) अध्यादेश, १९७० (सदन के पटल पर गया) ..	७९
(गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, ० (सदन के पटल पर रखा गया) ..	८०
देश निवारक निरोध अध्यादेश, १९७० (सदन के पटल पर रखा) । ..	८०
देश कर तथा शुल्क विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७० (सदन पटल पर रखा गया) ..	८०
प्रदेश गुन्डा नियंत्रण अध्यादेश, १९७० (सदन के पटल पर रखा	८०
स्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) अध्यादेश, ० (सदन के पटल पर रखा गया) ..	८०
देश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १९७० (सदन के पटल रखा गया) ..	८१
देश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७० (सदन के पटल पर रखा गया) ..	८१

विषय

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी, कंट्रोल आफ रेंट एंड इविक्शन) (जारी रखने का) अध्यादेश, १९७० (सदन के पटल पर रखा गया) ..

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, १९७० (सदन के पटल पर रखा गया) ..

उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन, १९६६-६७ (सदन के पटल पर रखा गया) ..

उत्तर प्रदेश स्टेट इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन, १९६७-६८ ..

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका सेवा (संशोधन) नियमावली, १९७० (सदन के पटल पर रखी गयी) ..

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७० (सदन के पटल पर रखी गया) ..

उत्तर प्रदेश पर्यटक वाहन नियमावली, १९७० (सदन के पटल पर रखी गयी) ..

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) नियमावली, १९७० (सदन के पटल पर रखी गयी)

यू० पी० पंचायत राज (परिवार रजिस्टरों का अनुरक्षण) नियमावली, १९६९ (सदन के पटल पर रखी गयी) ..

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के वार्षिक लेखा विवरण पत्र, १९६८-६९ (सदन के पटल पर रखा गया) ..

लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी और आगरा नगरों की सीमाओं से होकर बाह्य गन्तव्य स्थानों के लिये माल और गाड़ियों आदि के पारगमन के निमित्त नियमावली का शुद्धि-पत्र (सदन के पटल पर रखी गयी) ..

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के पदाधिकारियों (यात्रा संबंधी सुविधाओं तथा भत्ते के) (संशोधन) नियम, १९७० (सदन के पटल पर रखे गये) ..

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (तृतीय संशोधन) नियमावली, १९७० (सदन के पटल पर रखी गयी) ..

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) नियमावली, १९७० (सदन के पटल पर रखी गयी) ..

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७० (सदन के पटल पर रखी गयी) ..

यू० पी० वेहिकिल्स टैक्सेशन (दूसरा संशोधन) नियमावली, १९७० (सदन के पटल पर रखी गयी) ..

उत्तर प्रदेश सरकार की लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९६९, वित्त लेखे १९६७-६८ तथा विनियोजन लेखे १९६७-६८ (सदन के पटल पर रखी गयी)

विषय | पृष्ठ-संख्या

वित्त विभाग की अधिसूचनायें (सदन के पटल पर रखी गयीं) .. ८४-८५

उत्तर प्रदेश सरकारी ठेकेदारी-विनाश (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधन (सदन के पटल पर रखे गये) .. ८५

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधन (सदन के पटल पर रखे गये) .. ८५

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के संबंध में असाधारण अधिकारों) का (संशोधन) विधेयक, १९६९ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) .. ८५

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४-६५ की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७० (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा) .. ८६

उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान (ठेकेदारी विनाश पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) .. ८६

भारतीय दंड संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६९ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) .. ८६

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) .. ८६

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९७० (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) .. ८७

श्री मंजूर अहमद की गिरफ्तारी के संबंध में सूचना .. ८७

याचिका समिति (१९७०-७१) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) .. ८७-८८

पंचम उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति की चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम व अष्टम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किये गये) .. ८८

नियम समिति (१९७०-७१) का प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) .. ८८-८९

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७० पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) .. ८९

उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम के संबंध में याचिका (उपस्थित की गयी) .. ९०

विभाजन की घंटी के समय में वृद्धि के संबंध में सूचना .. ९०-९१

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. ९१

श्री अध्यक्ष द्वारा सदन स्थगित करने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न .. ९१-९४

आगरा यूनीवर्सिटी सिनेट के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ९४-९५

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७० पर नियुक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	९५–९९
उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये घर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, १९७० पर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	९९
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक, १९७० (पुर: स्थापित किया गया) ..	१००
बिष्ट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, १९७० (पुर: स्थापित किया गया) ..	१००
उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७० (पुर: स्थापित किया गया) ..	१००–१०१
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७० (पुर: स्थापित किया गया) ..	१०१
राज्य विद्युत् परिषद् की ऋण लेने की सीमा बढ़ाने का संकल्प (पारित) ..	१०१–१२९
संयुक्त समाजवादी दल के कुछ नेताओं तथा विद्यार्थियों की विधान भवन के सामने गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्रस्तुत करने की अवज्ञा नहीं दी गयी—केवल वक्तव्य देने के लिये स्वीकृत	१३०–१३६
नियमावली ..	१३७–१६५
(९ दिसम्बर, १९७०)	
उपस्थित सदस्य ..	१६७–१७१
प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	१७२
प्रश्नोत्तर ..	१७२–२२१
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर नेता विरोधी दल के हस्ताक्षर होने तथा प्रस्ताव के स्थानीय अधिकारियों से सम्बन्धित होने से उसकी अनुमति के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न ..	२२१–२२९
श्री मंजूर अहमद की रिहाई के सम्बन्ध में सूचना ..	२२९
३ मार्च, १९७० को सदन में पिस्तौल की गोली मिलने के विषय में की गयी जांच के संबंध में सूचना ..	२२९
कांग्रेस (सत्तारूढ़) दल के उप नेता के सम्बन्ध में सूचना ..	२२९–२३०
साप्ताहिक कार्य-क्रम के सम्बन्ध में जानकारी ..	२३०
लोक सभा में केन्द्रीय विधि मंत्री द्वारा विधान परिषदों के उत्सादन संबंधी प्रस्तावों के संबंध में व्यक्त राय के बारे में व्यवस्था का प्रश्न ..	२३०–२३१

विषय	पृष्ठ संख्या
विविध विषय ..	२३१–२३२
संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं तथा विद्यार्थियों की गिरफ्तारी के संबंध में वक्तव्य ..	२३२–२३४
कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा कार्य–क्रम तय न करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	२३४–२३५
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७० (वापस लेने का प्रस्ताव––स्वीकृत) ..	२३५–२४६
कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० (पारित) ..	२४६–२६९
उत्तर प्रदेश एन्टरटेनमेन्ट्स ऐन्ड वेटिंग टैक्स (संशोधन) विधयक १९७० (जारी) ..	२६९–२७५
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें ..	२७५–२७७
जिला सहकारी बैंक, देवरिया के चुनाव स्थगन के सम्बन्ध में कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गयी) ..	२७७–२७९
नियम ५१ तथा ५२ के अन्तर्गत सूचनायें ..	२७९–२८०
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की अन्य सूचनायें ..	२८०–२८१
उत्तर प्रदेश एन्टरटेनमेंट्स ऐन्ड वेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९७० (जारी) ..	२८१–२८७
नस्थियां	२८८–३१६

(१० दिसम्बर, १९७०)

उपस्थित सदस्य ..	३१७–३२१
प्रश्नोत्तर ..	३२२–३६१
व्यवस्था का प्रश्न	३६२
प्रधान मंत्री के निजी सचिव, श्री यशपाल कपूर द्वारा सदस्यों पर कांग्रेस दल बदलने के लिये दबाव डालने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	३६२–३६७
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ तथा उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्यों का विनियमन) अधिनियम, १९५८ के संबंध में याचिका (याचिका की तिथि को निर्दिष्ट) ..	३६७–३६८
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न ..	०००–३६८
कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव ..	३६८–३७०
न्याय मंत्री द्वारा श्री रामलाल राही के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	३७१–३७२
उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९७० (स्थगित किया गया) ..	३७२–३७३

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश इन्टरटेनमेंट एंड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९७० (विचारोपरान्त पारित) ..	३७३–३८५
इंडियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० (विचारोपरान्त पारित)	३८५–३९५
उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (संशोधन) विधेयक, १९७० (विचारोपरान्त पारित) ..	३९५–४२०
हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट परीक्षा १९७० के रोके गये परीक्षा-फल को घोषित न करने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	४२०–४२३
पूर्वी जिलों व बुन्देलखंड क्षेत्रों में विकास निगमों की स्थापना के संबंध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ..	४२३–४२४
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें (जारी) ..	४२४
आगरा विश्वविद्यालय सिनेट के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन कार्य-क्रम के संबंध में सूचना ..	४२४
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें ..	४२४–४२५
संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं तथा विद्यार्थियों की विधान भवन के सामने गिरफ्तारी के संबंध में गृह मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा ..	४२५–४५१
मत्तियां ..	४५२–४६६

(१४ दिसम्बर, १९७०)

उपस्थित सदस्य ..	४६७–४७१
प्रश्नोत्तर ..	४७२–४९३
सदन के भावी कार्य-क्रम के संबंध में जानकारी की मांग ..	४९६–४९८
विधान भवन के सामने अनशन, प्रदर्शनकारी गैर-शिक्षक कर्मचारियों की गिरफ्तारी तथा सदन के परिसर को मुख्य द्वार के सामने वाले क्षेत्र तक बढ़ा देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	४९८–५०४
श्री राम लाल राही के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	५०४–५०५
'तरुण भारत' के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (निर्णय स्थगित) ..	५०६–५०७
जिला सहकारी बैंक, देवरिया के चुनाव स्थगित करने के संबंध में वक्तव्य ..	५०७–५०८
उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९७० (पुरःस्थापित किया गया) ..	५०८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) संशोधन) विधेयक, १९७० (विचारोपरान्त पारित) ..	५०८-५३०
उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐंड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७० (विचारोपरान्त पारित) ..	५३०-५४१
विष्ट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, १९७० (विचारोपरान्त पारित) ..	५४१-५५३
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, १९७० (विचारोपरान्त पारित) ..	५५३-५५६
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें ..	५५६-५५८
श्री महावीर कसेरे की पुलिस हिरासत में मृत्यु के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	५५८-५६२
खाद्यान्नों के मूल्य में गिरावट के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य (जारी) ..	५६२-५६६
वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के प्रथम अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत किये गये ..	५६७
खाद्यान्नों के मूल्य में गिरावट के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	५६७
नत्थियां ..	५६८-५७३

(१५ दिसम्बर, १९७०)

उपस्थित सदस्य ..	५७५-५७९
प्रश्नोत्तर ..	५७९-६०८
भूतपूर्व सदस्य, श्रीकृष्ण शरण आर्य के निधन पर शोकोद्गार ..	६०८-६१०
व्यवस्था का प्रश्न ..	६१०-६११
वित्त (लेखा परीक्षा एवं बिक्री-कर) विभाग की अधिसूचना---(पटल पर रखी गई) ..	६११
कृषि विभाग की अधिसूचना---(पटल पर रखी गयी) ..	६११
व्यवस्था के प्रश्नों को सुनने के उपरान्त ही निर्णय देने की प्रार्थना ..	६११-६१३
भावी कार्यक्रम के बारे में जानकारी--(जारी) ..	६१३-६१६
प्रश्नों के निश्चित उत्तर दिलवाने की प्रार्थना (जारी) ..	६१६
भावी कार्यक्रम के बारे में जानकारी--(जारी) ..	६१६-६१८
देवरिया तथा जालौन जिले के सहकारी बैंकों के निर्वाचन टालने की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी ..	६१८
भावी कार्यक्रम के बारे में जानकारी ..	६१९
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं ..	६१९
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७० (विचार जारी)	६१९-६२९

विषय		पृष्ठ-संख्या
द्वारा यूनिवर्सिटी सिनेट के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन के कार्यक्रम की सूचना	..	६३०
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७० पारित	..	६३०-६७०
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	..	६७०-६७१
अलकनन्दा की बाढ़ से चमोली एवं पिथौरागढ़ जिले में हुई क्षति एवं पीड़ितों को प्रदत्त सहायता के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	..	६७१-६७७
कार्य-स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न--(जारी)	..	६७७-६७८
विभाजन में गलत हस्ताक्षर बनाने के सम्बन्ध में शिकायत	..	६७८-६७९
कार्य-स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	..	६७९
भूमि आन्दोलन कारावासित त्यागपत्रियों तथा श्री मंजूर अहमद, सदस्य, विधान सभा के प्रति मारपीट के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा	..	६७९-७०५
मतियां	..	७०६-७११

(१६ दिसम्बर, १९७०)

उपस्थित सदस्य	..	७१३-७१७
प्रश्नोत्तर	..	७१८-७५२
१५ दिसम्बर, १९७० को हुये विभाजन में सूचियों पर गलत हस्ताक्षर बनाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	..	७५२-७५७
श्री कृष्ण स्वरूप द्वारा सदन के बाहर नीति सम्बन्धी वक्तव्य देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	..	७५७-७५९
'तरुण भारत' के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	..	७५९-७६०
दैनिक 'आज' के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	..	७६१-७६२
श्री इन्द्र लाल द्वारा श्री जगदीश प्रसाद के विरुद्ध समिति के सम्मुख गलत कागज प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	..	७६२
विविध विषयों के सम्बन्ध में जानकारी	..	७६२
१९७०-७१ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद	..	७६२-७७७
१९७०-७१ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--		
अनुदान संख्या २--भू-राजस्व--(स्वीकृत)	..	७७७
अनुदान संख्या ३--राज्य आबकारी--(स्वीकृत)	..	७७७
अनुदान संख्या ४--बिक्री-कर--(स्वीकृत)	..	७७८
अनुदान संख्या ८--राज्य विधान मंडल--(स्वीकृत)	..	७७८
अनुदान संख्या १०--सामान्य प्रशासन (स्वीकृत)	..	७७८

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या ११--आयुक्त और जिला प्रशासन--(स्वीकृत) ..	७७८-७७९
अनुदान संख्या १३--न्याय प्रशासन--(स्वीकृत) ..	७७९
अनुदान संख्या १५--पुलिस--(स्वीकृत) ..	७७९
अनुदान संख्या १७--वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य--(स्वीकृत)	७७९
अनुदान संख्या १८--शिक्षा--(स्वीकृत) ..	७७९-८०४
अनुदान संख्या १९--चिकित्सा--(स्वीकृत) ..	८०४
अनुदान संख्या २०--सार्वजनिक स्वास्थ्य--(स्वीकृत) ..	८०४
अनुदान संख्या २१--कृषि सम्बन्धी विकास--(स्वीकृत) ..	८०४
अनुदान संख्या २३--पशुपालन तथा मत्स्य पालन--(स्वीकृत) ..	८०४-८०५
अनुदान संख्या २४--सहकारिता--(स्वीकृत) ..	८०५
अनुदान संख्या २५--उद्योग--(स्वीकृत) ..	८०५
अनुदान संख्या २६--नियोजन और समन्वय--(स्वीकृत) ..	८०५
अनुदान संख्या २९--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां--(स्वीकृत)	८०५-८०६
अनुदान संख्या ३१--राजस्व से किये जाने वाले निर्माण कार्य--(स्वीकृत) ..	८०६
अनुदान संख्या ३२--सिंचाई अधिष्ठान--(स्वीकृत) ..	८०६
अनुदान संख्या ३३--सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं--(स्वीकृत) ..	८०६
अनुदान संख्या ३४--संचार साधनों का सुधार--(स्वीकृत) ..	८०७
अनुदान संख्या ३५--सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान (स्वीकृत) ..	८०७
अनुदान संख्या ३८--दुर्भिक्ष सहायता--(स्वीकृत) ..	८०७
अनुदान संख्या ४१--लेखन सामग्री और मुद्रण--(स्वीकृत) ..	८०७-८०८
अनुदान संख्या ४३--प्रकीर्ण व्यय--(स्वीकृत) ..	८०८
अनुदान संख्या ४५--नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन--(स्वीकृत)	८०८
अनुदान संख्या ४७--कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय--(स्वीकृत)	८०८
अनुदान संख्या ४८--औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय--(स्वीकृत) ..	८०९
अनुदान संख्या ५०--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय--(स्वीकृत) ..	८०९
अनुदान संख्या ५१--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	८०९
अनुदान संख्या ५२--सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय--(स्वीकृत) ..	८०९-८१०
अनुदान संख्या ५५--ब्याज वाले ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	८१०
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७०-७१ का अनुपूरक) विधेयक, १९७०--(विचारोपरान्त पारित) ..	८१०-८१३
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें ..	८१३

विषय	पृष्ठ-संख्या
गन्ना उत्पादकों का मिलों पर बकाया तथा एच० आर० शुगर फैक्ट्री द्वारा गन्ने की पर्चियों पर कीमत न डालने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	८१४–८२३
नस्थियां ..	८२४–८३४
(१७ दिसम्बर, १९७०)	
उपस्थित सदस्य ..	८३५–८३९
प्रश्नोत्तर ..	८४०–८७६
अधिक प्रश्नों को लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना ..	८७६
कार्य मंत्रणा समिति की बैठक स्थगित करने और अध्यादेशों के अननुमोदन के प्रस्तावों का कार्यक्रम तय न करने के सम्बन्ध में आपत्ति ..	८७७–८८०
'तरुण भारत' के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	८८०
श्री कृष्ण स्वरूप के विरुद्ध सदन के बाहर नीति सम्बन्धी वक्तव्य देने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	८८०–८८३
श्री नारायण दत्त तिवारी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना ..	८८४
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जांच कमीशन की रिपोर्ट—(प्रस्तुत की गई) ..	८८४
गिरफ्तार विद्यार्थियों को जेल में उच्च श्रेणी न दिये जाने तथा न्यायालय में मजिस्ट्रेटों के न होने के कारण उनको जमानत न हो सकने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	८८४–८८८
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय पुनस्संगठन समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा ..	८८८–९३२
व्यवस्था का प्रश्न ..	९३२–९३३
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं ..	९३३–९३४
रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७०—(सदन के पटल पर रखा गया) ..	९३४
कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संक्रामणक लोन उपबन्ध) विधेयक, १९७०—(सदन के पटल पर रखा गया) ..	९३४
कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	९३४–९३५
किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्य में गिरावट के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	९३५–९४४
राज्य कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	९४४–९४९
चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में विवाद ..	९४९–९७०
नस्थियां ..	९७१–९९०

(१८ दिसम्बर, १९७०)

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य ..	९९१-९९५
प्रश्नोत्तर ..	९९६-१०१५
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव--(जारी) ..	१०१५
प्रश्नों के उत्तर जनहित में न देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	१०१५-१०१७
सदस्यों को विशेष प्रकार से मतदान करने के सम्बन्ध में हिप जारी करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	१०१७
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी ..	१०१७-१०१८
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव--(जारी) ..	१०१९-१०२०
सर्वश्री विजयपाल सिंह तथा राम सिंह के सम्बन्ध में नवजीवन अखबार में जनसंघ से विच्छेद के सम्बन्ध में भ्रामक खबर छपने पर अपत्ति ..	१०२०
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव--(स्वीकृत)	१०२०
वाराणसी में कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के कार्यालय पर हमले के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	१०२१
उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९७०--(पुरः स्थापित किया गया) ..	१०२१
उत्तर प्रदेश इवेक्वाइज (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७०--(पुरः स्थापित किया गया) ..	१०२२
उत्तर प्रदेश के पिछड़े भू-भागों के विकास के लिये धनराशि उपलब्ध करने के सम्बन्ध में संकल्प--(जारी) ..	१०२२-१०५४
उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (निरसन) विधेयक, १९७०--(पुरःस्थापित किया गया) ..	१०५४
उत्तर प्रदेश के पिछड़े भू-भागों के विकास के लिये धनराशि उपलब्ध करने के सम्बन्ध में संकल्प--(स्वीकृत) ..	१०५५-१०६१
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं ..	१०६२
विधान सभा द्वारा पारित विधान परिषद् के उत्सादन के संकल्प को निरस्त करने के सम्बन्ध में संकल्प--(जारी) ..	१०६२-१०६९
नस्थियां ..	१०७०-१०९५

(२१ दिसम्बर, १९७०)

उपस्थित सदस्य ..	१०९७-११०१
प्रश्नोत्तर ..	११०१-११२५
विधान सभा द्वारा पारित विधान परिषद् के उत्सादन के संकल्प को निरस्त करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	११२५-११२६
उत्तर प्रदेश में ५ पावर प्रोजेक्ट्स खुलने के सम्बन्ध में चर्चा की मांग ..	११२६

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (बनाये रखने के लिये) विधेयक, १९७०—(सदन के पटल पर रखा गया) ..	११२६
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७०—(सदन के पटल पर रखा गया) ..	११२७
उत्तर प्रदेश एन्टरटेनमेण्ट्स ऐण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९७०—(विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	११२७
आश्वासन समिति का ३२वां प्रतिवेदन—(प्रस्तुत किया गया) ..	११२७–११२८
दैनिक 'नवजीवन' के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	११२९–११३०
ग्राम सैफपुर चिल्लू, थाना मैनाठेर, जिला मुरादाबाद में गोली चलने के फलस्वरूप ५ व्यक्तियों की कथित मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	११३०–११३१
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज (छात्र संघ) विधेयक, १९७०—(स्थगित) ..	११३१–११३६
उत्तर प्रदेश विधान मंडल के लिये कामनवेल्थ पार्लियामेण्ट्री एसोसियेशन की प्रान्तीय शाखा की स्थापना के सम्बन्ध में संकल्प—(स्वीकृत) ..	११३६
हायर परचेज के आधार पर क्रय विक्रय पर कर लगाने हेतु संसद द्वारा अधिनियम बनाने के सम्बन्ध में संकल्प—(स्वीकृत) ..	११३६–११४५
सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के गठन के सम्बन्ध में संकल्प—(स्वीकृत) ..	११४५–११४९
उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९६९ के अननुमोदन का प्रस्ताव—(प्रस्तुत नहीं किया गया) ..	११५०
उत्तर प्रदेश इक्साइज (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७०—(विचारोपरान्त पारित) ..	११५०–११६९
उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (निरसन) विधेयक, १९७०—(विचारोपरान्त पारित) ..	११६९–११७४
उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) (विधेयक, १९७०—(विचारोपरान्त पारित) ..	११७५–११८०
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं ..	११८०–११८२
विधान सभा के नियत तिथियों के तीन अधिवेशन बुलाने के निर्णय पर नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	११८३–११९६
नस्थियां ..	११९७–११९८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी० ।

उपाध्यक्ष

श्री वासुदेव, एम० ए० ।

सचिव, विधान मण्डल

श्री हरीशचन्द्र अग्रवाल, एच० जे० एस० ।

सचिव, विधान सभा

श्री देवकीनन्दन मिश्रल, एम० ए०, एल-एल० बी० ।

सहायक सचिव (अधिष्ठान)

श्री कैलास नाथ मेहरोत्रा ।

सहायक सचिव (प्रश्न)

श्री श्रीपति सहाय, बी० ए०, एल-एल० बी० ।

समिति अधिकारी

रिक्त ।

अधीक्षक

श्री श्रीनाथ दीक्षित, बी० ए०, एल-एल० बी० ।

श्री उमाशंकर, बी० ए० ।

श्री हरिनन्दन शरण भटनागर, एम० ए०, बी० काम०, एल-एल० बी०, डिप्लोमा इन पार्लियामेंटरी इंस्टीट्यूशन ऐण्ड प्रोसीजर ।

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शासन

राज्यपाल

डाक्टर बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी

मंत्री-परिषद्

*(1) श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, मुख्य मंत्री एवं सामान्य प्रशासन (जिसमें सांस्कृतिक कार्य तथा वैज्ञानिक अनुसंधान सम्मिलित नहीं हैं) नियोजन, गन्ना तथा चीनी मिलें, नियुक्ति, अर्थ एवं संख्या, राजनैतिक पेंशन मंत्री।

(2) श्रीमती कुदेसिया बेगम, विधान सभा सदस्य, खाद्य तथा रसद एवं सांस्कृतिक कार्य, मुस्लिम वक्फ, खेल-कूद मंत्री।

(3) श्री कैलाश प्रकाश, विधान परिषद् सदस्य, वित्त, बिक्री-कर, पंजियन, स्टाम्प, तथा न्यायालय शुल्क मंत्री।

(4) श्री शान्ति प्रसन्न शर्मा, विधान सभा सदस्य, विद्युत् तथा संसदीय कार्य विधायिका, पूर्व धर्मस्व, श्री बद्रीनाथ मन्दिर मंत्री।

(5) श्री गिरधारी लाल, विधान सभा सदस्य, सार्वजनिक निर्माण एवं राज्य सम्पत्ति, निवास मंत्री।

(6) श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, विधान सभा सदस्य, उद्योग, (जिसमें चीनी मिलें सम्मिलित नहीं हैं) वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री।

(7) श्री लक्ष्मी रमण आचार्य, विधान सभा सदस्य, न्याय तथा परिवहन, पर्यटन मंत्री।

(8) श्री वीरेन्द्र वर्मा, विधान सभा सदस्य, गृह (जिसमें कारागार सम्मिलित नहीं है), नागरिक सुरक्षा, प्रान्तीय रक्षक दल, होम गार्ड्स, राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री।

(9) श्री बलवीर सिंह, विधान सभा सदस्य, सिंचाई मंत्री (जिसमें लघु सिंचाई सम्मिलित नहीं है)।

(10) श्री रूपनाथ सिंह यादव, विधान सभा सदस्य, स्वायत्त शासन, नगर-पालिका मंत्री।

(11) श्री प्रभु नारायण सिंह विधान सभा सदस्य, राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास मंत्री।

(12) श्री हिम्मत सिंह, विधान सभा सदस्य, श्रम तथा आबकारी मंत्री।

(13) श्री बिशन लाल, विधान सभा सदस्य, पशुपालन, मत्स्य मंत्री।

(14) श्री राम किंकर, विधान सभा सदस्य, वन, प्रिन्स आफ वेल्स जूलाजिकल गार्डन मंत्री।

(15) श्री कृष्णानन्द राय, विधान सभा सदस्य, सहकारिता मंत्री।

(16) श्री श्रीपति मिश्र, विधान परिषद् सदस्य, शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा मंत्री।

(17) श्री अनवार अहमद, विधान सभा सदस्य, कृषि, लघु सिंचाई मंत्री।

(18) श्री अनन्तराम जायसवाल, विधान सभा सदस्य, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य मंत्री।

---

* त्रिभुवन नारायण सिंह किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे और बाद में वे चुनाव में हार भी गए थे।

(19) श्री मलिखान सिंह, विधान सभा सदस्य, सामुदायिक विकास (जिसमें लघु सिंचाई तथा खेल कूद सम्मिलित नहीं हैं), पंचायती राज मंत्री (जिसमें जिला परिषद् सम्मिलित नहीं है)।

(20) श्री त्रिलोक चन्द, विधान सभा सदस्य, सूचना एवं कारागार मंत्री।

(21) श्री रामसागर, विधान सभा सदस्य, हरिजन सहायक तथा समाज कल्याण मंत्री।

राज्य मंत्री

(1) श्री मोहम्मद अतहार अहमद, विधान सभा सदस्य, स्वायत्त शासन मंत्री से सम्बद्ध।

(2) श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी, विधान सभा सदस्य, राजस्व मंत्री से सम्बद्ध।

(3) श्री राम सिंह खन्ना, विधान सभा सदस्य, वित्त मंत्री से सम्बद्ध।

(4) डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर, विधान सभा सदस्य, स्वास्थ्य मंत्री से सम्बद्ध।

(5) श्री प्रभाकर त्रिपाठी, विधान सभा सदस्य, श्रम तथा आबकारी मंत्री से सम्बद्ध।

(6) श्री विजय कुमार त्रिपाठी, विधान सभा सदस्य, शिक्षा मंत्री से सम्बद्ध।

(7) श्री रामधारी शास्त्री, विधान सभा सदस्य, सार्वजनिक निर्माण मंत्री से सम्बद्ध।

(8) श्री कल्पनाथ सिंह, विधान सभा सदस्य, सिंचाई मंत्री से सम्बद्ध।

(9) श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, विधान सभा सदस्य, गृह मंत्री से सम्बद्ध।

(10) श्री मुन्शीलाल चमार, विधान सभा सदस्य, सामुदायिक विकास मंत्री से सम्बद्ध।

(11) श्री मोतीलाल देहलवी, विधान सभा सदस्य, सहकारिता मंत्री से सम्बद्ध।

(12) श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य, विधान सभा सदस्य, कृषि मंत्री से सम्बद्ध।

(13) श्री धर्मवीर, विधान सभा सदस्य, खाद्य तथा रसद मंत्री से सम्बद्ध।

(14) श्री मनोहर लाल, विधान सभा सदस्य, न्याय तथा परिवहन मंत्री से सम्बद्ध।

उप-मंत्री

(1) श्री रामबचन यादव, विधान सभा सदस्य, राजस्व मंत्री से सम्बद्ध।

(2) श्री सैय्यद मुहम्मद सईद मुर्तजा, विधान सभा सदस्य, सिंचाई मंत्री से सम्बद्ध।

(3) श्री सर्वसुख सिंह, विधान सभा सदस्य, शिक्षा मंत्री से सम्बद्ध।

(4) श्री राम प्रसाद देशमुख, विधान सभा सदस्य, विद्युत् मंत्री से सम्बद्ध।

(5) श्री महीलाल, विधान सभा सदस्य, सहकारिता मंत्री से सम्बद्ध।

(6) श्री मोहन लाल, विधान सभा सदस्य, उद्योग मंत्री से सम्बद्ध।

(7) श्री डूंगर सिंह बिष्ट, विधान सभा सदस्य, वन मंत्री से सम्बंद्ध।

(8) श्री अहमद लूत खां, विधान सभा सदस्य, पशुपालन मंत्री से सम्बद्ध।

(9) श्री रघुवीर सिंह, विधान सभा सदस्य, सार्वजनिक निर्माण मंत्री से सम्बद्ध।

(10) श्री सच्चिदानन्द गुप्ता, विधान सभा सदस्य, न्याय तथा परिवहन मंत्री से सम्बद्ध।

(11) श्री हबीबुर्रहमान नोमानी, विधान सभा सदस्य, श्रम तथा आबकारी मंत्री से सम्बद्ध।

(12) श्री गंगा प्रसाद, विधान सभा सदस्य, स्वास्थ्य मंत्री से सम्बद्ध।

(13) श्रीमती इन्द्रमोहनी, विधान सभा सदस्य, मुख्य मंत्री से सम्बद्ध।

(14) श्री रघुनाथ सिंह, विधान सभा सदस्य, गृह मंत्री से सम्बद्ध।

(15) श्री भारत सिंह चौहान, विधान सभा सदस्य, सामुदायिक विकास मंत्री से सम्बद्ध।

(16) श्री राम बचन, विधान सभा सदस्य, कृषि मंत्री से सम्बद्ध।

(17) श्री अनीसुर्रहमान शेरवानी, विधान सभा सदस्य, सूचना तथा कारागार मंत्री से सम्बद्ध।

(18) श्री श्याम सूरत उपाध्याय, विधान सभा सदस्य, वित्त मंत्री से सम्बद्ध।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

विधान सभा दुर्ग

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
१	अजब सिंह, श्री	..	कांधला ।
२	अजीत प्रताप सिंह	..	प्रतापगढ़ ।
३	अतीकुर्रहमान, श्री	..	नगीना ।
४	अनन्त राम जायसवाल	..	नवाबगंज ।
५	अनवार अहमद, श्री	..	उन्नाव ।
६	अनीसुर्रमान शेरवानी, श्री	..	गंगीरी ।
७	अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री	..	सादुल्लानगर ।
८	अब्दुल सलाम शाह, श्री	..	कमालगंज ।
९	अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री	..	नौगढ़ ।
१०	अमरनाथ दुबे, श्री	..	कोलासला ।
११	अली जहीर, श्री संयद	..	पीलीभीत ।
१२	अवधेश कुमार, श्री	..	मिसरिख ।
१३	अवधेश प्रताप मल्ल, श्री	..	बरहर ।
१४	अशफाक अहमद, श्री	..	बरेली कैंट ।
१५	अशरफ अली खां, श्री	..	सादाबाद ।
१६	अहमद लूत खां, श्री	..	अलीगढ़ ।
१७	अहमदुल्ला खां, श्री	..	ठाकुरद्वारा
१८	आनन्द ब्रह्म शाह, राजा	..	राजगढ़ ।
१९	आनन्द सिंह, श्री	..	मनकापुर ।
२०	आबिद अली, श्री	..	लहरपुर ।
२१	आशाराम इन्दु, श्री	..	हस्तिनापुर (अ०जा०) ।
२२	आशा सिंह, श्रीमती	..	हरदोई ।
२३	इन्द्रजीत सिंह, श्री	..	किशनपुर (अ०जा०) ।
२४	इन्द्रमणी, श्री	..	देव प्रयाग ।
२५	इन्द्र मोहिनी, श्रीमती	..	चन्दौसी ।
२६	इन्द्रलाल, श्री	..	हल्द्वानी (अ०जा०) ।
२७	इम्तियाज हुसैन, श्री	..	लखनऊ (मध्य) ।
२८	ईश्वर दयाल, श्री	..	मुरादनगर ।
२९	उदय नाथ, श्री	..	चिरई गांव ।
३०	उदय प्रताप सिंह, श्री	..	लम्भुवा ।

विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
३१	उदित नारायण शर्मा, श्री	..	खजुहा ।
३२	उपेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री	..	सरसौल ।
३३	उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भय्या जी)	..	फतेहपुर ।
३४	उमादत्त शर्मा, श्री	..	मेरठ (कैंट) ।
३५	उमानाथ सिंह, श्री	..	बयालसी ।
३६	उमाशंकर तिवारी, श्री	..	मुगलसराय ।
३७	उमाशंकर शुक्ला, श्री	..	शाहजहांपुर ।
३८	ऋषिपाल सिंह, श्री	..	गुन्नौर ।
३९	ए० सी० ग्राइस, श्री	..	नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय ।
४०	ओम प्रकाश सिंह, श्री	..	आलमपुर ।
४१	कन्हैयालाल, श्री	..	गोवर्द्धन (अ० जा०) ।
४२	कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री	..	पिहानी (अ० जा०) ।
४३	कन्हैयालाल सोनकर, श्री	..	चायल (अ० जा०) ।
४४	कमलापति त्रिपाठी, श्री	..	चन्दौली ।
४५	करन सिंह, श्री	..	निघासन ।
४६	कला रानी मिश्र, श्रीमती	..	बिलग्राम ।
४७	कल्पनाथ सिंह, श्री	..	चिल्लूपार ।
४८	कल्यान सिंह, श्री	..	अतरौली ।
४९	काजी मसूद, श्री	..	नकुड़ ।
५०	किशनलाल, श्री	..	बरखेड़ा (अ० जा०) ।
५१	कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)		संडीला ।
५२	कृपा दयाल, श्री	..	बिसवां ।
५३	कृष्णकान्त अवस्थी, श्री	..	बेहटा ।
५४	कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री	..	महरौनी ।
५५	कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)	..	खागा ।
५६	कृष्ण मगन सिंह, श्री	..	रुदौली ।
५७	कृष्ण सिंह, श्री	..	उत्तरकाशी ।
५८	कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री	..	बदायूं ।
५९	कृष्णानन्द राय, श्री	..	दिलदारनगर ।
६०	केदार नाथ, श्री	..	बहराइच ।
६१	केशवचन्द्र सिंह, श्री	..	जलालाबाद ।
६२	केशोराम, श्री	..	अंबियापुर (अ०जा०) ।
६३	केशोराम, श्री	..	आंवला (अ० जा०) ।

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
६४	खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री	..	अनूपशहर ।
६५	गंगा प्रसाद, श्री	..	एटा ।
६६	गंगा प्रसाद, श्री	..	महादेवा (अ० जा०) ।
६७	गंगा सिंह, श्री	..	निधौली कलां
६८	गजेन्द्र सिंह, श्री	..	बिधूना ।
६९	गनेशदत्त बाजपेयी, श्री	..	जनरलगंज ।
७०	गया प्रसाद, श्री	..	बिहार (अ० जा०) ।
७१	गायत्री देवी, श्रीमती	..	इगलास ।
७२	गिरजा शंकर, श्री	..	दरियाबाद ।
७३	गिरधारी लाल, चौधरी	..	अफजलगढ़ (अ०जा०) ।
७४	गुप्तार सिंह, श्री	..	सरेनी ।
७५	गुलाब सिंह, श्री	..	मंसूरी ।
७६	गेंदासिंह, श्री	..	सेवरही ।
७७	गोपाल दत्त, श्री	..	डीडीहाट ।
७८	गोपी नाथ दीक्षित, श्री	..	बांगरमऊ ।
७९	गोविन्द सिंह, श्री	..	टिहरी ।
८०	गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री	..	कर्वी ।
८१	घासीराम जाटव, श्री	..	लखना (अ० जा०) ।
८२	चंचल सिंह गिल, सरदार	..	बिलासपुर ।
८३	चतुर्भुज शर्मा, श्री	..	उरई ।
८४	चन्द्रनारायन सिंह, श्री	..	चरखारी ।
८५	चन्द्रपाल आजाद, श्री	..	गोकुल ।
८६	चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर	..	पडरौना ।
८७	चन्द्र भान, श्री	..	कैराना ।
८८	चन्द्रभानु गुप्त, श्री	..	रानीखेत ।
८९	चन्द्रमणि कांत सिंह, जूदेव, श्री	..	भिनगा ।
९०	चन्द्रमोहन, श्री	..	लैंसडाउन ।
९१	चरण सिंह, श्री	..	छपरौली ।
९२	चित्तर सिंह, राजा	..	माधोगढ़ ।
९३	चिरंजीलाल, श्री	..	जलेसर (अ० जा०) ।
९४	चेतराम गंगवार, श्री	..	नवाबगंज ।
९५	छांगुर, श्री	..	मेहनगर (अ० जा०) ।
९६	छेदा लाल चौधरी, श्री	..	बांकेगंज (अ० जा०) ।

विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
९७	जंग बहादुर यादव, श्री	..	जौनपुर ।
९८	जंगबहादुर सिंह, श्री	..	अतरौलिया ।
९९	जगदम्बा प्रसाद, श्री	..	जलालपुर ।
१००	जगदीश गांधी, श्री	..	सिकन्दरराऊ ।
१०१	जगदीश प्रसाद, श्री	..	कादीपुर (अ० जा०) ।
१०२	जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)	..	छिबरामऊ ।
१०३	जगन प्रसाद रावत, श्री	..	खेड़ागढ़ ।
१०४	जगन्नाथ खन्ना, श्री	..	सहारनपुर ।
१०५	जगन्नाथ प्रसाद, श्री	..	धौरहरा ।
१०६	जगन्नाथ राव, श्री	..	मड़ियाहूं ।
१०७	जगमोहन वर्मा, डाक्टर	..	झांसी ।
१०८	जगरनाथ, श्री	..	चिलकहर ।
१०९	जगवीर सिंह, श्री	..	अगौता ।
११०	जमादार, श्री	..	सरधना ।
१११	जयनारायन सिंह, श्री	..	हसवा ।
११२	जय राम यादव, श्री	..	कुंडा ।
११३	जय राम वर्मा, श्री	..	टांडा ।
११४	जलील अब्बासी, श्री	..	डुमरियागंज ।
११५	जितेन्द्रपाल सिंह, श्री	..	गंगेश्वरी (अ०जा०) ।
११६	जे० एन० सिन्हा, श्री	..	रुड़की ।
११७	ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री	..	भोगनीपुर (अ० जा०) ।
११८	डी० पी० बोरा, श्री	..	लखनऊ (पश्चिमी) ।
११९	डूंगर सिंह, श्री	..	नैनीताल ।
१२०	तिरमल सिंह, श्री	..	पटियाली ।
१२१	तेज नरायन त्रिवेदी, श्री	..	लखीमपुर ।
१२२	तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री	..	घाता ।
१२३	तेजबहादुर, श्री	..	बीसलपुर ।
१२४	तेजभान सिंह, कुंवर	..	रामपुर खास ।
१२५	त्रिलोक चन्द, श्री	..	छतारी (अ० जा०) ।
१२६	त्रिवेणी राय, श्री	..	लालगंज ।
१२७	त्रिवेणी सहाय, श्री	..	गोंडा ।
१२८	त्रिवेनी सहाय, श्री	..	बाराबंकी ।
१२९	दलसिंगार, श्री	..	गोपालपुर ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
१३०	दीपनरायन बन, श्री	..	मुजहेना ।
१३१	दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री	..	देवरिया ।
१३२	दुर्जन, श्री	..	बबेरू ।
१३३	दुलारे लाल, श्री	..	पुरवा (अ० जा०) ।
१३४	देवकी नन्दन विभव, श्री	..	आगरा (कैंट) ।
१३५	देवराम, श्री	..	जखनियां (अ० जा०) ।
१३६	देवेन्द्र सिंह, कुंवर	..	नजीबाबाद ।
१३७	धनुषधारी पांडेय, श्री	..	खलीलाबाद ।
१३८	धर्मदत्त, श्री	..	शेरगढ़ ।
१३९	धर्मवीर, श्री	..	मंझनपुर (अ० जा०) ।
१४०	धर्म वीर सिंह, श्री	..	मोरना ।
१४१	धर्मवीर सिंह, श्री	..	बरनावा ।
१४२	धर्मसिंह, श्री	..	जेवर (अ० जा०) ।
१४३	धूम प्रसाद, श्री	..	सोहावल (अ० जा०) ।
१४४	नगीना सिंह, श्री	..	कोपाचीट ।
१४५	नत्था राम रावत, श्री	..	फतेहपुर (अ० जा०) ।
१४६	नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री	..	बद्री केदार ।
१४७	नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	..	पिथौरागढ़ ।
१४८	नरोत्तम सिंह, श्री	..	उसहत ।
१४९	नसीमउद्दीन सिद्दीकी, श्री	..	चमनगंज ।
१५०	नारायण दत्त तिवारी, श्री	..	काशीपुर ।
१५१	नारायण दास, श्री	..	मोहनलालगंज (अ०जा०)।
१५२	नित्यानन्द स्वामी, श्री	..	देहरादून ।
१५३	निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)		सिकन्दरपुर ।
१५४	निहाला सिंह, श्री	..	औराई ।
१५५	नेतराम सिंह, श्री	..	कासगंज ।
१५६	नैनसिंह, श्री	..	चरथावल (अ०जा०) ।
१५७	नैपाल, श्री	..	खेकड़ा ।
१५८	नौनिहाल सिंह, श्री	..	कांठ ।
१५९	पन्नालाल गुप्त, श्री	..	बिन्दकी ।
१६०	परमाई लाल, श्री	..	महिरोरी (अ० जा०) ।
१६१	पारसनाथ सिंह, श्री	..	नानपारा ।
१६२	पूरन चन्द, श्री	..	कोल (अ० जा०) ।

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
१६३	प्यारेलाल, श्री	..	गाजियाबाद ।
१६४	प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती	..	फरेंदा ।
१६५	प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर	..	आगरा (पूर्वी) ।
१६६	प्रताप नारायण, श्री	..	हमीरपुर ।
१६७	प्रभाकरण त्रिपाठी, श्री	..	गोविन्दनगर ।
१६८	प्रियदर्शी जेटली, श्री	..	अकबरपुर ।
१६९	प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री	..	हाथरस ।
१७०	प्रेम नारायण अहेरवार श्री एडवोकेट	..	मऊरानीपुर (अ०जा०) ।
१७१	फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री	..	झंगहा (अ० जा०) ।
१७२	बंश गोपाल शुक्ल, श्री	..	लखनऊ (पूर्वी) ।
१७३	बंशीधर, श्री	..	शाहाबाद (अ० जा०) ।
१७४	बंशीधर पांडेय, श्री	..	ज्ञानपुर ।
१७५	बंशीधर मिश्र, श्री	..	फूलजेहड़ ।
१७६	बच्चा पाठक, श्री	..	बांसडीह ।
१७७	बदन सिंह यादव, श्री	..	सकीट ।
१७८	बद्री प्रसाद, श्री	..	मियांगंज (अ० जा०) ।
१७९	बनारसी, श्री	..	मार्टीनगंज (अ०जा०) ।
१८०	बब्बन सिंह, श्री	..	सीयर ।
१८१	बलराम सिंह यादव, श्री	..	भरथना ।
१८२	बलबीर सिंह, श्री	..	गढ़मुक्तेश्वर ।
१८३	बसन्तलाल, श्री	..	कोंच (अ० जा०) ।
१८४	बसन्त लाल, श्री	..	मलिहाबाद (अ०जा०) ।
१८५	बसन्त लाल शर्मा, श्री	..	शिवपुर ।
१८६	बांके लाल, श्री	..	हाटा ।
१८७	बिशन लाल यादव, श्री	..	बहजोई ।
१८८	बिहारी लाल	..	कन्नौज ।
१८९	बेनी सिंह, श्री	..	घाटमपुर ।
१९०	बैजनाथ, श्री	..	नौरंगिया (अ० जा०) ।
१९१	बैजनाथ, श्री	..	धानापुर ।
१९२	ब्रजराज सिंह, श्री	..	मौदहा ।
१९३	भगवत दयाल सिलौइया, डाक्टर	..	ललितपुर (अ० जा०) ।
१९४	भगवती सिंह विशारद, श्री	..	भगवन्तनगर ।
१९५	भगेलू सिंह, श्री	..	करनैलगंज ।
१९६	भगवती प्रसाद, श्री	..	इकौना (अ० जा०) ।

विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
१९७	भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री	..	कटेहरी ।
१९८	भगौती सिंह	..	कैसरगंज ।
१९९	भानु प्रताप सिंह, श्री	..	भोजीपुरा
२००	भानुप्रताप सिंह, श्री	..	भनवापुर ।
२०१	भाभी यादव, श्री	..	मुबारकपुर ।
२०२	भारत सिंह चौहान, श्री	..	औरैया ।
२०३	भीमा प्रसाद, श्री	..	आजमगढ़ ।
२०४	मंगल उपाध्याय, श्री	..	रामकोला ।
२०५	मदन मोहन मिश्रा, श्री	..	रायबरेली ।
२०६	मनफूल सिंह, श्री	..	जानसठ (अ० जा०)
२०७	मनसाराम, श्री	..	शिकोहाबाद ।
२०८	मनोहर लाल, श्री	..	कानपुर (कैंट) ।
२०९	मन्जूर अहमद, श्री	..	बिठौर ।
२१०	मलिखान सिंह, श्री	..	मैनपुरी ।
२११	मसाली देवी, श्रीमती	..	बांसगांव ।
२१२	महमूद हसन खां, श्री	..	सम्भल ।
२१३	महरम सिंह, श्री	..	फर्रुखाबाद ।
२१४	महात्तम प्रसाद तिवारी, श्री	..	श्याम देवखा ।
२१५	महादेव प्रसाद, श्री	..	चर्दा (अ० जा०) ।
२१६	महाबीर सिंह, श्री	..	चन्दौस ।
२१७	महाबीर, सिंह, श्री	..	देवबन्द ।
२१८	महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)	..	बांदा ।
२१९	महीलाल, श्री	..	कुन्दरकी (अ० जा०) ।
२२०	महेन्द्र सिंह, श्री	..	खैर ।
२२१	महेन्द्र सिंह, श्री	..	हसनपुर ।
२२२	महेश्वरदत्त सिंह, श्री	..	बलरामपुर ।
२२३	माखन लाल, श्री	..	हैदराबाद ।
२२४	माता प्रसाद, श्री	..	शाहगंज (अ० जा०)।
२२५	माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री	..	बांसी ।
२२६	मानवती देवी, श्रीमती	..	बीकापुर ।
२२७	मुंशीलाल चमार, श्री	..	करहल (अ० जा०) ।
२२८	मुमताज मोहम्मद खां, श्री	..	स्याना ।
२२९	मुल्तान सिंह, श्री	..	टूंडला ।

विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
२३०	मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री	..	मसौली ।
२३१	मुहम्मद नबी खां, श्री	..	रुधौली ।
२३२	मेहरबान सिंह, श्री	..	एकेश्वर ।
२३३	मैनेजर सिंह, श्री	..	द्वाबा ।
२३४	मोतीलाल देहलवी, श्री	..	बिल्हौर (अ० जा०) ।
२३५	मोतीलाल, श्री	..	मछलीशहर ।
२३६	मोहनलाल, श्री	..	महोबा (अ० जा०) ।
२३७	मोहनलाल कपूर, श्री	..	मेरठ ।
२३८	मोहन सिंह, श्री	..	तिलोई ।
२३९	मोहम्मद असरार अहमद, श्री	..	बिनावर ।
२४०	मोहम्मद महमूद अली खां, श्री	..	सरसावा ।
२४१	यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री	..	बरसठी ।
२४२	यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)	..	सिसवा ।
२४३	रघुनाथ सिंह, श्री	..	फतेहपुर सीकरी ।
२४४	रघुनाथ सिंह, श्री	..	सर्वनखेड़ा ।
२४५	रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री	..	जसराना ।
२४६	रघुराज सिंह, चौधरी	..	खुर्जा ।
२४७	रघुबीर सिंह यादव, श्री	..	घिरौर ।
२४८	रणजय सिंह, राजा	..	अमेठी ।
२४९	राजनाथ, श्री,	..	सादात ।
२५०	राजपती देवी, श्रीमती	..	गौरीगंज ।
२५१	राजबहादुर चन्द, श्री	..	खेसरहा ।
२५२	राज बिहारी सिंह, श्री	..	आराजी लाइन।
२५३	राज मंगल पांडेय, श्री	..	कुशीनगर ।
२५४	राजा राम, श्री	..	फिरोजाबाद ।
२५५	राजितराम पांडेय, श्री	..	हंडिया ।
२५६	राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती	..	बस्ती ।
२५७	राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री	..	स्वार टांडा ।
२५८	राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर	..	इलाहाबाद (उत्तरी) ।
२५९	राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	..	सतांव ।
२६०	राजेश्वर सिंह, श्री	..	फरीदपुर ।
२६१	राम अवध, श्री	..	जहांगीरगंज (अ०जा०)।
२६२	रामकरन यादव, श्री	..	संदपुर ।

विधान सभा सचिवालय

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
२६३	रामकरन सिंह, श्री	..	सहजनवां ।
२६४	राम किंकर, श्री	..	पट्टी (अ० जा०) ।
२६५	राम किशोर शुक्ल, श्री	..	करछना ।
२६६	राम कुंवर, श्री	..	सगड़ी ।
२६७	राम कुमार, श्री	..	चौबेपुर ।
२६८	राम कुमार शास्त्री, श्री	..	बानगंगा ।
२६९	राम गोपाल संड, श्री	..	इलाहाबाद (दक्षिणी) ।
२७०	राम चन्द्र विकल, श्री	..	दादरी ।
२७१	रामचरण त्रिपाठी, श्री	..	बाह (अ० जा०) ।
२७२	राम चरण, श्री	..	सिराथू ।
२७३	राम जियावन, श्री	..	इसौली ।
२७४	रामजीलाल सहायक, श्री	..	रौहटा (अ० जा०) ।
२७५	राम दुलारे, श्री	..	बछरावां (अ० जा०) ।
२७६	राम देव, श्री	..	बीरापुर ।
२७७	रामधारी शास्त्री, श्री	..	फाजिलनगर ।
२७८	राम निहोर, श्री	..	भदोही (अ० जा०) ।
२७९	राम निहोर राय, श्री	..	मझवा (अ० जा०) ।
२८०	रामपति, श्री	..	घुरियापार (अ०जा०) ।
२८१	रामपाल त्रिवेदी श्री	..	महोना ।
२८२	रामपाल सिंह श्री	..	बिजनौर ।
२८३	रामपाल सिंह यादव, चौधरी	..	डेरापुर ।
२८४	राम पूजन पटेल, श्री	..	कौड़िहार ।
२८५	राम प्यारे, श्री	..	दुद्धी (अ० जा०) ।
२८६	राम प्यारे शुक्ला, श्री	..	सुल्तानपुर ।
२८७	राम प्रसाद, श्री	..	रोखा (अ० जा०) ।
२८८	राम प्रसाद देशमुख, श्री	..	सासनी (अ० जा०) ।
२८९	राम बचन, श्री	..	फूलपुर ।
२९०	रामबचन यादव, श्री	..	रानी की सराय ।
२९१	राम मूर्ति 'अंचल', श्री	..	ददरौल ।
२९२	राम रतन, श्री	..	रसड़ा (अ० जा०)
२९३	राम रतन पांडेय, श्री	..	उमर्दा ।
२९४	राम लखन, श्री	..	चकिया (अ० जा०) ।
२९५	राम लखन दूबे, श्री	..	लक्ष्मीपुर ।

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
२९६	राम लखन शुक्ल, श्री	..	कौड़ीराम ।
२९७	रामलखन सिंह, श्री	..	बहादुरपुर ।
२९८	रामलाल, श्री	..	गौरीबाजार ।
२९९	रामलाल भाई, श्री	..	गोरखपुर ।
३००	रामलाल राही, श्री	..	हरगांव (अ० जा०) ।
३०१	राम विलास पांडेय, श्री	..	घोसी ।
३०२	रामशिरोमणि, श्री	..	गड़वारा ।
३०३	रामसागर, श्री	..	केराकत (अ० जा०) ।
३०४	राम सिंह, श्री	..	नागल (अ० जा०) ।
३०५	राम सिंह खन्ना, श्री	..	बरेली सिटी ।
३०६	राम सूरत सिंह, श्री	..	गाजीपुर ।
३०७	राम सेवक, श्री	..	जगदीशपुर (अ०जा०) ।
३०८	राम हरख, श्री	..	महसी ।
३०९	राव अब्दुर रफि खां, श्री	..	भवन ।
३१०	रियाजत हुसैन, श्री	..	मुरादाबाद (देहात) ।
३११	रूपनाथ सिंह यादव, श्री	..	बहादुरपुर ।
३१२	रूपराम, श्री	..	पुवायां ।
३१३	लक्ष्मण स्वरूप, श्री	..	हापुड़ (अ० जा०) ।
३१४	लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री	..	मांट ।
३१५	लक्ष्मी शंकर यादव, श्री	..	खुटहन ।
३१६	लालन शर्मा, श्री	..	मल्लावां ।
३१७	लाल बहादुर, श्री	..	वाराणसी (कैंट) ।
३१८	लालसा, श्री	..	नत्थूपुर (अ० जा०) ।
३१९	लालसा प्रसाद, श्री	..	मेंहदावल ।
३२०	लालू, श्री	..	हरैया (अ० जा०) ।
३२१	लीलाधर, श्री	..	दयालबाग (अ० जा०) ।
३२२	वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री	..	जमानियां ।
३२३	बासुदेव, श्री	..	लक्ष्मणपुर ।
३२४	बासुदेव सिंह, श्री	..	फकरपुर ।
३२५	विक्रम सिंह, श्री	..	बड़ौत ।
३२६	विजय कुमार त्रिपाठी, श्री	..	सरोजिनीनगर ।
३२७	विजय पाल सिंह, श्री	..	गैसड़ी ।
३२८	विजय बहादुर सिंह, श्री	..	मिर्जापुर ।

विधान परिषद सचिवालय

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
३२९	विजय शंकर सिंह, श्री	..	मुहम्मदाबाद ।
३३०	विद्यावती राठौर, श्रीमती	..	मोहम्मदाबाद ।
३३१	बिशम्भर सिंह यादव, श्री	..	जसवन्तनगर ।
३३२	विश्रामदास, श्री	..	मेजा (अ० जा०) ।
३३३	विश्वनाथ कपूर, श्री	..	अयोध्या ।
३३४	विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री	..	सोरांव ।
३३५	वीर बहादुर सिंह, श्री	..	पनियारा ।
३३६	वीरेन्द्र कुमार, चौधरी	..	मछरेहटा (अ० जा०) ।
३३७	वीरेन्द्र वर्मा, श्री	..	खतौली ।
३३८	वीरेन्द्र स्वरूप, श्री	..	सिकन्दराबाद ।
३३९	शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री	..	वाराणसी (उत्तरी) ।
३४०	शकुंतला देवी, श्रीमती	..	हरौड़ा (अ० जा०) ।
३४१	शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री	..	वाराणसी (दक्षिण) ।
३४२	शफीक अहमद खां, श्री	..	बहेड़ी ।
३४३	शमीम आलम, श्री	..	बुलन्दशहर ।
३४४	शम्भूनाथ चौधरी, श्री	..	बलिया ।
३४५	शम्भू नारायण सिंह, श्री	..	माया ।
३४६	शान्ति चरन पिड़ारा, श्री	..	मथुरा ।
३४७	शान्ति देवी, श्रीमती	..	सहसवान ।
३४८	शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री	..	हरिद्वार ।
३४९	शिव कुमार, श्री	..	निगोही ।
३५०	शिव कुमार, श्री	..	जयसिंहपुर ।
३५१	शिव कैलाश, श्री	..	सिद्धौर (अ० जा०) ।
३५२	शिवदास, श्री	..	चुनार ।
३५३	शिवपाल सिंह, श्री	..	बिछिया ।
३५४	शिव प्रसाद पांडिया, श्री	..	सलोन ।
३५५	शिव बचन, श्री	..	सलेमपुर ।
३५६	शिव महेन्द्र सिंह कुंवर (उर्फ शेर सिंह)	..	चांदपुर ।
३५७	शिवराज सिंह, श्री	..	बिसौली ।
३५८	शिवलाल, श्री	..	आर्यनगर (अ० जा०) ।
३५९	शिववक्ष सिंह राठौर, श्री	..	किशनी ।
३६०	शिवशंकर, श्री	..	कासिमाबाद ।
३६१	शिव शंकर सिंह, श्री	..	डलमऊ ।

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
३६२	शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री	..	कालपी ।
३६३	शिवानन्द नौटियाल, श्री	..	पौड़ी ।
३६४	शीतला प्रसाद सिंह, श्री	..	तरबगंज ।
३६५	शुकरू लाल, श्री	..	बेनीगंज (अ० जा०) ।
३६६	शेर अली खां, श्री	..	मोदीनगर ।
३६७	शेर सिंह दानू, श्री	..	कर्णप्रयाग ।
३६८	शेष नारायण शुक्ल, श्री	..	रामनगर ।
३६९	शौनाथ सिंह, श्री	..	नूरपुर ।
३७०	श्याम किशोर, डाक्टर	..	सीतापुर ।
३७१	श्याम लाल, श्री	..	मोहम्मदाबाद गोहना (अ० जा०) ।
३७२	श्याम लाल रावत, श्री	..	सिधौली (अ० जा०) ।
३७३	श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)		महमूदाबाद ।
३७४	श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	..	प्रतापपुर ।
३७५	श्रीकृष्ण वाजपेयी, श्री	..	कल्याणपुर ।
३७६	श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा	..	छानबे ।
३७७	श्रीराम सिंह, श्री	..	कटरा बाजार ।
३७८	श्रीशचन्द्र, श्री	..	बाबन ।
३७९	सईद मुर्तज, श्री	..	मुजफ्फरनगर ।
३८०	सच्चिदानन्द, श्री	..	लखनऊ (केन्टोनमेंट) ।
३८१	संजीवन लाल, श्री	..	हसनगंज ।
३८२	सतीश चन्द्र, श्री	..	अलीगंज ।
३८३	सत्तार अहमद, श्री	..	धामपुर ।
३८४	सन्तराम, श्री	..	तुलसीपुर (अ० जा०) ।
३८५	सन्तू, श्री	..	हैदर बाजार (अ०जा०) ।
३८६	सरदार सिंह, श्री	..	मुजफ्फराबाद ।
३८७	सरस्वती देवी, श्रीमती	..	बागेश्वर (अ० जा०) ।
३८८	सर्वसुख सिंह, श्री	..	बारा ।
३८९	सिया दुलारी, श्रीमती	..	मानिकपुर (अ० जा०) ।
३९०	सियाराम, श्री	..	सोरों (अ० जा०) ।
३९१	सियाराम गंगवार, डाक्टर	..	कायमगंज ।
३९२	सीताराम, डाक्टर	..	रुद्रपुर (अ० जा०) ।
३९३	सुखवीर, श्री	..	लकसर ।

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
३९४	सुखपाल पांडेय, श्री	..	विक्रमजोत ।
३९५	सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री	..	बबीना ।
३९६*	सुखलाल कोरी, श्री	..	अजीतमल (अ०जा०) ।
३९७	सुरेन्द्र विक्रम, श्री	..	तिलहर ।
३९८	सूबेदार प्रसाद, श्री	..	राबर्ट्सगंज (अ०जा०) ।
३९९	सूबेदार सिंह, श्री	..	भोगांव ।
४००	सूरजलाल गुप्त, श्री	..	उत्तरौला ।
४०१	सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री	..	रारी ।
४०२	सेवाराम, श्री	..	मोहमदी (अ० जा०)
४०३	सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब	..	रामपुर।
४०४	सोहन लाल धुसिया, श्री	..	साऊघाट (अ० जा०) ।
४०५	सौभाग्यवती, श्रीमती	..	अमरोहा ।
४०६	स्वामी प्रसाद सिंह, श्री	..	राठ ।
४०७	हंसराज श्री	..	महराजगंज (अ०जा०) ।
४०८	हबीब अहमद, श्री	..	इलाहाबाद (पश्चिमी)।
४०९	हबीबुर्रहमान, श्री	..	मऊ।
४१०	हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती	..	हैदरगढ़ ।
४११	हरनरायन, श्री	..	पूरनपुर ।
४१२	हरबंश प्रसाद, श्री	..	नरैनी ।
४१३	हरिनाथ तिवारी, श्री	..	मिलकीपुर ।
४१४	हरिप्रसाद शाही, डाक्टर	..	बिपराइच ।
४१५	हरिवंश सहाय, श्री	..	भाटपाररानी ।
४१६	हरिहर बख्श सिंह, राजा	..	शाहाबाद ।
४१७	हरीदत्त काण्डपाल, श्री	..	द्वाराहाट ।
४१८	हरी सिंह विष्ट, श्री	..	अल्मोड़ा ।
४१९	हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री	..	मुरादाबाद (नगर) ।
४२०	हिम्मत सिंह, श्री	..	डिबाई ।
४२१	हुकुम सिंह परिहार, श्री	..	फतेहाबाद ।
४२२	हुक्म सिंह, श्री	..	आगरा (पश्चिमी) ।
४२३	हुतीलाल अग्रवाल, श्री	..	इटावा ।
४२४	[रिक्त]	..	मानीराम ।
४२५	[रिक्त]	..	राजपुर ।

*पहले मा० सदस्य का नाम कोरी सुखलाल लिखा जाता था ।

अवध विधान सभा

विधान सभा
पटेरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ७ दिसम्बर, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३९८

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वरदयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री उर्फ (भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री

गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद श्री, (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल , चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जय राम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीरसिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री

पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरसिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
मही लाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथसिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर

राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री जिला (इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामरतन, श्री
राम रतन पान्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दुबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम बिलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
रामसेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
बिशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बक्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ति चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडेय, श्री

शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दरलाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी,
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनारायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री (जिला आगरा फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—मुख्य मंत्री श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, वित्त मंत्री श्री कैलाश प्रकाश, शिक्षा मंत्री श्री श्रीपति मिश्र, स्वास्थ्य मंत्री श्री पुरूषोत्तमदास कपूर तथा राजस्व मंत्री श्री प्रभू नारायण सिंह भी उपस्थित थे।

अध्यक्ष प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर†

सोमवार, ७ दिसम्बर, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जिला परिषदों का चुनाव

**१—श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह जिला परिषदों का चुनाव प्रदेश में कब कराने का विचार कर रही है ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री मलिखान सिंह)—

गांव पंचायतों के चनाव के बाद क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों के चुनाव कराये जायेंगे। गांव पंचायतों के चुनाव मार्च-अप्रैल १९७१ में कराने का विचार है। परन्तु अभी निश्चित रुप से निर्णय नहीं लिया गया है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में अभियन्ताओं की सेवा शर्तों सम्बन्धी नियुक्त समिति

**२—श्री राम चन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या निर्माण मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में वरीयता (सीनियारिटी) असिस्टेंट इंजीनियर्स की तय करने के लिये कमेटी बैठाई गई थी ? यदि हां, तो कब ? और अब तक उस कमेटी की रिपोर्ट पर अमल क्यों नहीं हुआ ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (चौधरी गिरधारी लाल)—

राज्य सरकार के अन्तर्गत विभागों में कार्य करने वाले अभियंताओं की सेवा शर्तों पर विचार करने के लिये एक समिति बैठी थी। इसकी रिपोर्ट मई, १९६९ में शासन को प्राप्त हुई। इसकी संस्तुतियां शासन के विचाराधीन हैं।

बलिया जिले के सिकन्दरपुर थाने के अन्तर्गत छात्रों पर गोलीबर्षा

**३—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत २६ अप्रैल, सन ७० को बलिया जिला में सिकन्दरपर थाने के अन्तर्गत छात्रों के अहिंसात्मक जलूस पर पुलिस ने गोली वर्षा की ? यदि हां, तो इस काण्ड में कितने लोग हताहत हुए और कितनों की मृत्यु हुई ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि छात्रों का जलूस किस कारण से निकला था और क्या सरकार ने उन कारणों की जांच कराई है ?

गृह मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

दिनांक २६-४-७० को नहीं बल्कि १६-१०-७० को पुलिस ने थाना सिकन्दरपुर क्षेत्र में गोली चलाई जिसके फलस्वरुप दो व्यक्तियों की मृत्य हुई तथा दो व्यक्ति घायल हुये और तीन व्यक्तियों को गोली की चोटें आईं। उक्त घटना की न्यायिक जांच किये जाने के लिए शासन ने एक कमीशन नियुक्त किया है। जांच के उपरांन्त ही वास्तविक तथ्य मालूम हो सकेंगे।

---

†नोटः—नियम ४१ के अनुसार प्रश्नोत्तर छापे गये।

श्री विशेश्वर दयाल शर्मा, सब-इन्सपेक्टर की अनिवार्य रूप से सेवा निवृति

**४—श्री रामकरन (जिला गोरखपुर), श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि १९६१ में डी० आई० जी०, श्री एस० एस० सक्सेना (वर्तमान आई० जी० पुलिस) ने श्री विशेश्वर दयाल शर्मा, सब-इन्सपेक्टर, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल का बिना किसी विभागीय कार्यवाही के एक नोटिस द्वारा रिवर्शन किया था ? जिस रिवर्शन को सरकार ने अवैध घोषित कर दिया ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त श्री शर्मा को श्री सक्सेना के आई० जी० का पद संभालते ही पौढ़ी गढ़वाल ट्रान्सफर कर दिया गया और अब उनको कम्पसलरी रिटायरमेंट दिया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां। १९६१ में तत्कालीन उप पुलिस महानिरीक्षक श्री एन० एस० सक्सेना ने नरेन्द्र नगर टिहरी गढ़वाल के सब-इन्सपेक्टर श्री विशेश्वर दयाल शर्मा को रिवर्ट कर दिया था। उक्त आदेश को शासन ने प्रक्रिया सम्बन्धी अनियमितता के आधार पर निरस्त कर दिया था परन्तु साथ ही यह आदेश दिया था कि श्री शर्मा के विरुद्ध नये सिरे से कार्यवाही की जाय। वर्तमान पुलिस महानिरीक्षक श्री सक्सेना ने प्रशासनिक कारणों से श्री शर्मा को लखनऊ से हिल रेंज के किसी जिले में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया था परन्तु यह सत्य नहीं है कि श्री शर्मा को अनिवार्य रूप से निवृत्त किया जा रहा है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

प्राइवेट बस आपरेटरों को तीर्थ यात्रा हेतु परमिट जारी करना

*१—श्री श्याम सुन्दर लाल गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टूरिस्ट या तीर्थ यात्रा के लिये जो अस्थाई परमिट प्रादेशिक परिवहन अधिकारी द्वारा प्राइवेट बस आपरेटरों को दिये जाते थे वे अब बन्द कर दिये गये हैं ? क्या शासन से इस आशय का कोई आज्ञा-पत्र जारी हुआ है ? यदि हां, तो कब और क्या ?

न्याय मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

जी नहीं। शासन ने इस आशय का कोई आज्ञा पत्र नहीं जारी किया है। परिवहन आयुक्त के स्तर से संभागीय परिवहन अधिकारियों को केवल गश्ती पत्र इस आशय का जारी किया गया है कि इस प्रकार के अस्थाई परमिटों को देने के पूर्व उन्हें आवश्यकता की सत्यता के बारे में भली भांति छान बीन कर लेनी चाहिए।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१—श्री श्याम सूरत—

[मंत्रि-परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

जनरल मैनेजर, रोडवेज द्वारा उन्नाव बस स्टेशन का निरीक्षण

*२—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या जनरल मैनेजर, रोडवेज, लखनऊ क्षेत्र ने दिनांक ३० तथा ३१ जनवरी, १९७० को रोडवेज बस स्टेशन, उन्नाव का निरीक्षण तथा प्राप्त कुछ शिकायतों की जांच की थी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

जी नहीं ।

*३—श्री भगवती सिंह विशारद—

यदि हां, तो क्या परिवहन मन्त्री उक्त जांच की रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

प्रश्न नहीं उठता ।

बलिया जिले में विचाराधीन मुकदमें

*४—श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या सरकार बतायेगी कि बलिया जनपद के किन-किन न्यायालयों में २० अप्रैल, १९७० को कितने-कितने मुकदमें विचाराधीन थे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

२० अप्रैल, १९७० को बलिया जनपद के विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमों की संख्या निम्न प्रकार थी :

१—जिला जज	१४६
२—सेशन्स जज	७७
३—प्रथम अतिरिक्त सिविल एवं सेशन्स जज ..	१०४
४—सिविल जज	५२४
५—मुन्सिफ (पूर्वी)	१५०६
६—मुन्सिफ मजिस्ट्रेट (पश्चिमी)	१४८६
७—अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (जे०)	३३७
८—जुडिशियल मजिस्ट्रेट (प्रथम)	५००
९—जुडिशियल आफिसर (द्वितीय)	५६१
योग ..	५२४१

यात्री-कर तथा माल-कर का फैजाबाद में जमा न होना

*५—श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

क्या परिवहन मन्त्री को ज्ञात है कि फैजाबाद सर्वे रीजनल ट्रांसपोर्ट कार्यालय से शादी विवाह आदि का अस्थाई परमिट नहीं दिया जाता तथा पैसेंजर एवं गुड्स टैक्स का पैसा भी नहीं लिया जाता है जिससे फैजाबाद मन्डल की जनता को लखनऊ बार बार आना पड़ता है ? यदि हां, तो क्यों ? राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

फैजाबाद सब-रीजनरल ट्रांसपोर्ट कार्यालय से शादी-विवाह आदि के अस्थायी परमिट दिये जाते हैं तथा ऐसे अस्थाई परमिटों पर चलने वाली गाड़ियों से वाजिब यात्रीकर भी फैजाबाद कार्यालय में ही लिया जाता है। अन्य प्रकार के परमिटों पर चलने वाली गाड़ियों से यात्री-कर तथा माल-कर लखनऊ संभागीय अधिकारी के यहां जमा करने की व्यवस्था है ।

माल-कर फैजाबाद कार्यालय में जमा किये जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

राजकीय सेन्ट्रल वर्कशाप, कानपुर में बेकार खड़ी हुई गाड़ियों से हानि

*६—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़) तथा श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि राजकीय सेन्ट्रल वर्कशाप, गुटैया, जिला कानपुर में गत ३ माह से लगभग १०० राजकीय नयी बसें बेकार खड़ी हुई हैं, जिससे सरकार को लगभग २२ लाख ५० हजार रुपया की हानि हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इन नयी बसों के वहां खड़े रहने का कारण क्या है और इस हानि का कौन जिम्मेदार है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

यह कहना सही नहीं है कि १०० राजकीय बसें गुटैया वर्कशाप पर तीन माह तक बेकार खड़ी रहीं जिसके कारण शासन को २२ लाख ५० हजार रुपये की हानि हुई। सर्वश्री उत्कल आटोमोबाइल, जमशेदपुर से जिनको बस गाड़ी बनाने का ठेका दिया गया था, जनवरी से मार्च, १९७० तक ५० गाड़ी बन कर आयी। नियमानुसार इनका निरीक्षण किया गया। इनमें प्राविधिक खराबियां पाई गईं तथा फर्म से इन खराबियों को ठीक करने के लिये कहा गया। फर्म ने अपनी जिम्मेदारी पर इन गाड़ियों को वर्कशाप में ही खड़ा रखा और कमियां दूर करने का कार्य किया। अप्रैल, मई, १९७० में जो जो गाड़ियां निरीक्षण में सही उतरती गईं उनको रोडवेज ने अपने हिसाब में ले लिया और विभिन्न रीजनों में वितरण कर दिया।

इलाहाबाद से टेला तथा जंघई रोड आदि पर बसों का चलाना

*७—श्री राजित राम पान्डेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद से टेला व इलाहाबाद से असढ़िया सड़कों में रोडवेज की बसें चलवाने की व्यवस्था पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो व्यवस्था कब तक हो जायगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

इलाहाबाद से बड़ौत व सैदाबाद तक रोडवेज की बसें चलती हैं। टेला, बड़ौत से ८ किलोमीटर है, और असढ़िया, सैदाबाद से आठ किलोमीटर है, सड़क अच्छी न होने के कारण इन स्थानों के लिये रोडवेज बस चलाने का विचार नहीं है।

*८—श्री राजित राम पांडेय—

क्या परिवहन मन्त्री यह भी बतायेंगे कि इलाहाबाद से जंघई रोड पर जिस पर रोडवेज की बसें २ वर्ष पूर्व चलती थीं उस पर फिर से बसें चलवाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

इलाहाबाद से जंघई रोड तक रोडवेज बसें प्रयोगात्मक रूप में चार महीने चलाई गईं किन्तु अब यह बसें इलाहाबाद से मसाढ़ी तक जाती हैं, आगे १७ किलोमीटर कच्ची सड़क पर रोडवेज की बसें चलाने का विचार नहीं है।

परिवहन विभाग द्वारा गाड़ियों तथा पुर्जों की खरीद

*९—श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मार्च, १९६९ से फरवरी, १९७० तक सरकार के यातायात (रोडवेज) विभाग ने कुल कितनी रकम के पुर्जों तथा कितनी रकम की गाड़ियां (मोटरें) खरीदीं और किन-किन फर्म से खरीदीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

दिल्ली-गाजियाबाद मार्ग पर चलने वाली गाड़ियों का चालान तथा परमिटों का नवीनीकरण

*१०—श्री इम्तियाज हुसैन (जिला लखनऊ), श्री ईश्वरदयाल त्यागी (जिला मेरठ), श्री बिहारी लाल (जिला फर्रुखाबाद), श्री राम करन (जिला गाजीपुर), श्री हुकुम सिंह (जिला आगरा) तथा श्री शिवपाल सिंह (जिला उन्नाव)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि परमिट नं० ५०, ८०२ तथा ८३७ जो कि दिल्ली-गाजियाबाद मार्ग पर वैध हैं, अन्तर्गत दिनांक १ मई, १९६४ से १ मई, १९६७ तक कौन-कौन सी गाड़ियां चलाई गईं और प्रत्येक गाड़ी का चालान इस अवधि में कितनी बार हुआ ?

*११—क्या चेकिंग अधिकारियों द्वारा इन चालानों का ब्योरा आर०टी०ओ० को भेजा गया आर० टी० ओ० द्वारा परमिटों का नवीनीकरण पिछली बार कब हुआ और नवीनीकरण करते समय इन चालानों को मद्देनजर रक्खा गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३१ पर ।)

*१२—श्री इन्द्रलाल—

[विस्तीर्णता के कारण निरस्त]

कानपुर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों के लिये सिटी बस चलाने की मांग

*१३—श्री महरम सिंह—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर रीजन के अन्तर्गत किन-किन स्थानों पर सिटी बस सर्विस चलाने की मांग अधिकारियों से १९६९-७० में की गई और उनमें से किन-किन स्थानों के लिये बस सर्विस चलाना स्वीकार हुआ और बकाया स्थानों में सिटी बस सर्विस चलाने के संबंध में कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

वांछित सूचना संलग्न है ।

नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३२ पर)

वाराणसी क्षेत्र के जनरल मैनेजर द्वारा की गई नियुक्तियों में हरिजनों की संख्या

*१४—श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

वाराणसी क्षेत्र में जी०एम०, वाराणसी ने सन् १९६८ से १९७० के मध्य तृतीय श्रेणी में कितनी नई नियुक्तियां की हैं, उनमें से कितनी रोजगार कार्यालय के माध्यम से क्या उपरोक्त अवधि अन्तर्गत कोई हरिजन भी लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या विवरण के साथ सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

२५ नई नियुक्तियां की गईं जिनमें से एक हरिजन और ३ पिछड़ी जाति के थे । सारे व्यक्ति रोजगार के दफ्तर में रजिस्टर्ड हैं ।

झांसी से कालपी तक के स्वीकृत बस परमिट

*१५—श्री जगदीश गांधी—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि झांसी से कालपी के परमिट किस-किस आधार पर दिये गये व कितनी प्राइवेट बसें झांसी से कालपी व कालपी से झांसी टेम्पोरेरी व परमानेंट चालू हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

बसों के परमिट संभागीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट तथा उसके अन्तर्गत नियमों के तत्संबंधी प्राविधानों के आधार पर दिये जाते हैं । झांसी-कालपी मार्ग पर ११ स्थायी (परमानेंट) परमिट चालू हैं । अस्थायी (टेम्पोरेरी) परमिट कोई नहीं है ।

*१६—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[मंत्रि परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

*१७—श्री मोतीलाल देहलवी—

[मंत्रि परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

जिला परिषद् सीतापुर में अनियमिततायें

*१८—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि फरवरी, सन् १९७० ई० में जिला परिषद, सीतापुर के तत्कालीन अध्यक्ष के समय एक लाख रुपयों की टाट-पट्टियों के खरीदने में बरती गई अनियमितताओं की जांच करने लखनऊ के मुख्य वित्त परामर्शदाता मार्च, सन् १९७० ई० में गये थे और सरकार को जांच रिपोर्ट प्रेषित की ? यदि हां, तो उनकी जांच रिपोर्ट में किन लोगों को दोषी ठहराया गया है और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—

जी हां, मुख्य वित्त अधिकारी (जिला परिषद) उत्तर प्रदेश, जिला परिषद सीतापुर में लगभग एक लाख रुपये की टाट-पट्टियों के क्रय करने के संबंध में की गई अनियमितताओं की जांच करने हेतु सीतापुर गये थे । उनकी जांच रिपोर्ट में जिला परिषद, सीतापुर के वित्तीय परामर्शदाता को उपरोक्त खरीदारी में बर्ती गई कतिपय अनियमितताओं के लिये दोषी ठहराया गया, जिसके फलस्वरुप वित्तीय परामर्शदाता को उनके मूल विभाग (महालेखाकार, उत्तर प्रदेश का कार्यालय) में प्रत्यावर्तित कर दिया गया है । साथ ही शासन ने वित्तीय परामर्शदाता की सत्यनिष्ठा का प्रमाण-पत्र रोक लेने तथा उनकी चरित्र पंजी में एक प्रतिकूल प्रविष्टि भी करने का निर्णय लिया है ।

सदन के नेता के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]—

श्रीमन् यह सदन आज मिल रहा है, किन्तु मुझे आश्चर्य के साथ कहना पड़ता है कि...

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्नोत्तर काल के पहले ही आपने व्यवस्था के प्रश्न की इजाजत दे दी।

श्री अध्यक्ष—

उनका व्यवस्था का प्रश्न बहुत मौलिक है इसलिये मैं इजाजत दे रहा हूं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—

यह सदन आज मिल रहा है लेकिन यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इस सदन का कोई नेता नहीं है। सदन नेता की कुर्सी पर एक ऐसे महानुभाव बैठे हैं जो इस सदन के सदस्य नहीं है। इससे पूर्व कि इस सदन की कार्यवाही शुरु हो—प्रश्नोत्तर शुरु हों—मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि आप सदन के नेता की व्यवस्था करें क्योंकि प्रश्नोत्तर के बाद कंडोलेंस के प्रस्ताव आयेंगे, उन पर विवाद की परिपाटी नहीं है। इसलिये यह आवश्यक है कि प्रश्नोत्तर से पहले यह निर्णय हो जाय कि सदन का नेता कौन है? आज इस समय जो महानुभाव सदन नेता की कुर्सी पर बैठे हैं वह राज्य सभा के सदस्य थे और इस समय भी राज्य सभा के सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं जानना चाहता हूं कि आप उनको चीफ मिनिस्टर मानते हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

गवर्नर ने उनको चीफ मिनिस्टर की शपथ दिलवाई है इसलिये फिलहाल काम चलाने के लिये चीफ मिनिस्टर वह हैं अपनी सरकार के, हम उनको चीफ मिनिस्टर नहीं मानते।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रश्न पर एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। आप उनको अपसेट नहीं कर सकते।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मुझे एक वैधानिक आपत्ति है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, बिना आपके निर्देश के मैं बठने के लिये तैयार नहीं हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरी वैधानिक आपत्ति है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इजाजत आपको नहीं देता । आप बैठ जायें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं कैसे बैठ जाऊं ?

श्री अध्यक्ष—

आपत्ति पहले ही एक उठाई जा चुकी है । व्यवधान ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं कह रहा था कि नेता सदन का कार्य वही कर सकता है जो इस सदन का सदस्य हो सदन की परिपाटी क्या है यह हमारी नियमावली में दी हुई है । नियम ३ में परिभाषाओं में "म" में दिया हुआ है "सदन का तात्पर्य विधान सभा से है ।" यह माननीय परम्परा सभी विधान सभाओं तथा लोक सभा में, हाउस आफ कामन्स में रही है कि नेता सदन उसी सदन का सदस्य होता है यानी हाउस आफ कामन्स का होता है, लोक सभा का होता है और विधान सभा का होता है । आप देखें कि यह जो पार्लियामेंटरी प्रोसीज्योर इन इंडिया श्री मुकर्जी की है, उसे मैंने आप को आपके कक्ष में दिखाया था ।

(Parliamentary Procedure in India' By A. R. Mukerjee)

के पृष्ठ ३३ में लिखा हुआ है कि—

"In India the leader of the majority, i.e. the Government Party, usually the Prime Minister or the Chief Minister, as the case may be, is known as the leader of the House of which he is a member. But any other member, usually a Minister, may be nominated by the Government party to be the Leader of the House, and that is always done in the House where the Prime Minister or the Chief Minister is not a member."

इसमें भारतीय प्रथा बताई गई है कि आम तौर पर जो बहुमत का नेता होता है वही प्रधान मंत्री या मुख्य मंत्री होता है और वही लीडर आफ दि हाऊस भी होता है । मेरे पास एक दूसरी किताब भी है जो पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीज्योर इन इन्डिया है जो कि एम० एन० श्री कौल तथा सकधर साहब की लिखी है उसमें लिखा है: —

"Practice and Procedure of Parliament (Kaul and Shakdhar) (Page 102) "Leader of the House means the Prime Minister, if he is member of the House or a Minister who is a member of the house and is nominated by the Prime Minister to function as the Leader of the House."

इसी पुस्तक के पृष्ठ १०१ पर दिया हुआ है कि—

"The Prime Minister, who is the Leader of the majority Party in Lok Sabha, usually functions as Leader of the House in Lok Sabha.

The position was, however, changed in January, 1966 after the appointment of a new Prime Minister, who was a member of Rajya Sabha. This necessitated the appointment of a separate Leader of the House in Lok Sabha. The Prime Minister made an order appointing a Minister who was a member of Lok Sabha to be the Leader of the House and communicated it to the Speaker. On being informed by the Prime Minister, the Speaker introduced to the House the Minister of Parliamentary Affairs as the Leader of the House in Lok Sabha".

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

तो श्रीमन्, लोक सभा में जब कि श्रीमती इन्दिरा गांधी राज्यसभा की सदस्या थीं तो उस वक्त वह प्रधान मंत्री चुन ली गई थीं। मेरे पास उस वक्त की प्रोसीडिंग्स भी रखी हुई हैं। मैं आपको बतला सकता हूं। श्री सत्य नारायण सिन्हा को लीडर आफ दि हाऊस इन्ट्रोड्यूस किया गया था।

मैं आपका ध्यान मेज़ पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस की ओर भी दिलाना चाहता हूं जिसके पृष्ठ २६० पर यह उल्लेख है.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

पहले भी मैंने आपको टोका था और फिर कहता हूं कि क्या आप उनको चीफ मिनिस्टर मानते हैं या नहीं? यह तो आप भी कहते हैं कि इन्दिरा गांधी लोक सभा की नहीं, राज्य सभा की सदस्या थीं। इन्दिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर मानने से किसी ने इन्कार नहीं किया, नेता सदन मानने से इन्कार किया था।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि बहुमत के नेता को सदन का नेता और चीफ मिनिस्टर मानते हैं। मैं कैसे मान लूं कि वे चीफ मिनिस्टर हैं?

श्री अध्यक्ष—

इसके लिये आपके पास दो तरीके हैं। एक तो सेन्सर मोशन और दूसरे अविश्वास के प्रस्ताव से। आप अविश्वास का प्रस्ताव ला सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैंने निवेदन किया कि नो कान्फिडेन्स मोशन मैं इस समय पेश नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इस समय नेता सदन के बारे में जानना चाहता हूं कि इस समय इस सदन का नेता कौन है? मैं कहना चाहता हूं कि क्या जो हम लोग यहां पर ४२२ की संख्या में बैठे हुये हैं, इस स्थिति में नहीं हैं या कोई ऐसा योग्य आदमी नहीं है जो नेता सदन हो सके। यह एक विचारणीय प्रश्न है। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के १७ वें एडिशन के पेज २६० में लिखा है:—

"The title does not appear to have become established until about the middle of the nineteenth century(s) although the institution is much older. The Leadership of the House is not a statutory office nor is the Leader formally appointed by the Crown ; for these reasons the post has usually been held together with another office. Until 1917 the Prime Minister, if a member of the House of Commons, also acted as Leader of the House; if he was member of the House of Lords the duties of the Leader of the House of Commons were performed either by the First Lord of the Treasury or by the Chancellor of the Exchequer."

एक दूसरी पुस्तक इसी के बारे में है 'दि आफिस आफ दि प्राइम मिनिस्टर'। इसके पृष्ठ २६४ पर लिखा हुआ है—

"The Prime Minister or the Leader of the House of Commons, if the Prime Minister is a peer or if another minister is delegated that function, does not fix the business of the Commons in an arbitrary fashion."

इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर हाउस आफ कामन्स का मेम्बर प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो वह लीडर आफ दि हाउस का काम नहीं कर सकता है। हाउस का मेम्बर अगर वह नहीं हो तो वह लीडर नहीं हो सकता। अतः इससे पहले कि सदन की कोई कार्यवाही हो यह निश्चित हो जाना चाहिये कि सदन का नेता कौन है। मैं आग्रह करूंगा कि बिलकुल स्पष्ट है कि जब तक सदन का कोई नेता नहीं है, इस सदन की कार्यवाही नहीं हो सकती। और श्रीमन्, मैं और हमारे ये साथी ऐसे व्यक्ति को इस सदन का नेता मानने के लिये तैयार नहीं हैं, चाहे वह कितना ही विद्वान हो, जो सदन का सदस्य न हो।

*श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने की इजाजत दी। अध्यक्ष महोदय मैं बड़े गौर से माननीय सदस्य नैनीताल के विचार सुन रहा था। माननीय सदस्य विदेशी पुस्तकों के बहुत से हवाले दे रहे थे लेकिन हमारे देश का जो विधान है उसकी पूर्णरूप से अवहेलना कर रहे थे। आपके माध्यम से मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यही प्रश्न आज माननीय न्यायालय के विचाराधीन है।

(नहीं नहीं की आवाज)

अभी तो मैं बोल रहा हूं। मुझे बोलने दीजिये। यही प्रश्न जो हाई कोर्ट में उठाया गया था जो रिजेक्ट कर दिया गया और अब यही प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया है। इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री, श्री टी० एन० सिंह को नोटिस भी इश्यू कर दिया गया है। हमारे नियमों की और हमारी यह परम्परा रही है कि अगर कोई प्रश्न न्यायालय के विचाराधीन होता है, उस पर हम विचार नहीं कर सकते। फिर यह तो हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन प्रश्न है। इसलिये यह प्रश्न सबजुडिस है। (व्यवधान) जो माननीय सदस्य इधर बैठकर शान्ति का उपदेश देते थे वे इतनी जल्दी अशान्त कैसे हो गये हैं।

मैं निवेदन कर रहा था श्रीमन्, कि हमारे विधान के अन्दर व्यवस्था है और मैं अपने मित्र माननीय तिवारी जी को संविधान का वह आर्टिकिल भी दिखा देता लेकिन यहां पर रोशनी कम है। मैं उन को बता दूंगा कि इसके अन्दर यह व्यवस्था है और मैं यह भी जानता हूं कि माननीय तिवारी जी घर से पढ़ कर आये हैं, ६ महीने के अन्दर कोई भी व्यक्ति सदन के अन्दर मंत्रि-पद पर कार्य कर सकता है बिना हाउस के सदस्य चुने हुये। इसमें हमारे देश के हाई कोर्ट तथा अन्य कोर्ट्स की यह राय रही है। यह तर्क दिया जा सकता है कि कोई भी सदस्य यहां मंत्रि-पद लेने के बाद ६ महीने के अन्दर निर्वाचित हो कर आ जाय। यह प्रश्न कई बार उठ चुका है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि उस सदस्य को मंत्री की शपथ लेने से रोका जाय।

आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया और बड़ा मौलिक प्रश्न उठाया, इसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं। आपने उनसे कहा कि आप उनको मुख्य मंत्री मानते हैं या नहीं। मैं समझता हूं कि सब प्रश्नों का जवाब इसमें आ गया है वह मुख्य मंत्री के पद का कार्यभार संभाल रहे हैं। (व्यवधान) मुझे कम से कम जितना समय माननीय तिवारी जी को दिया गया उससे आधा समय देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आपने तो सब कुछ कह दिया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं इसके लिये तैयार हूं। आप केवल एक व्यवस्था दें कि आया यह मामला सबजूडिस है तो इस पर विचार हो सकता है या नहीं।

श्री अध्यक्ष—

मैं फैसला दिये देता हूं। इसमें यह प्रश्न नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है इस बात के लिये कि आप उनको मुख्य मंत्री मानते हैं या नहीं। इसके बारे में संविधान में जिक्र है। उन्होंने कहा कि हम उनको नेता सदन नहीं मानते हैं। मुख्य प्रश्न यह है कि चाहे वह मुख्य मंत्री हों लेकिन नेता सदन नहीं हो सकते। जब तक सदन का सदस्य (तालियां) यह उनका कहना है, मेरा फैसला नहीं है। (तालियां) आपके सामने उनका कहना यह है कि वे नेता सदन नहीं हो सकते क्योंकि वे सदन के सदस्य नहीं हैं। हर जगह यह हुआ है कि सदन का नेता वही होगा जो सदन का सदस्य है, यह उनका कहना है। सबजूडिस यह है कि वे मुख्य मंत्री नहीं हो सकते। इस हिसाब से वह मामला मेरे सामने नहीं है। दूसरी चीज यह है कि यह मामला सबजूडिस भी है। इस लिये यह प्रश्न नहीं उठ सकता है कि वे मुख्य मंत्री हैं या नहीं, वह गलत है। दूसरे वह प्रश्न मेरे सामने नहीं है। उन्होंने नेता सदन का प्रश्न उठाया है। जो माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहें, बोल सकते हैं। पहले मैं माननीय लक्ष्मी रमण आचार्य जी को बोलने का मौका दूंगा।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

माननीय नित्यानन्द स्वामी ने जो कहा है उसका जवाब देने के लिये मुझे समय दें।

श्री अध्यक्ष—

आपको बाद में मौका मिलेगा। आप शान्ति से सुनिये। मैं आपको मौका दूंगा।

न्याय मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

मान्यवर, मेरे खयाल से आज जो इस आदरणीय सदन के समक्ष प्रश्न उठाया गया है, उसके केवल दो पहलू हैं और मेरा ऐसा विश्वास है कि हमारे आदरणीय मित्र माननीय नारायण दत्त जी तिवारी यदि एक पहलू पर विचार कर लेंगे तो वे स्वयं ही उस पर विश्वास कर लेंगे क्योंकि उन्होंने कुछ गलत दलीलों पर ही कुछ चीजों को आश्रित किया है। मैंने अत्यन्त गम्भीरता के साथ विचार करने की चेष्टा की है। मैं अपने मित्र से कहना चाहता हूं कि वे कृपा करके संविधान की सारी पुस्तिका को पढ़ जायं तो इसमें कहीं भी नेता सदन का जिक्र नहीं मिलेगा। यही नहीं, बल्कि हमारी यह जो नियमावली है इसमें भी नेता सदन का जिक्र नहीं मिलेगा, मंत्रियों और मुख्य मंत्री का मिलेगा। (है की आवाज) मैं जानता हूं जितना है। इन दोनों चीजों को मिलाया न जाय। मंत्री और मुख्य मंत्री तो हमारे संविधान के अनुसार हैं और यह चीज निहित की गयी है संविधान में कि कोई भी सज्जन, वह चाहे बाहर के हों, यदि उनको मंत्रि पद की शपथ दिलायी जा चुकी है तो ६ महीने तक मंत्री का कार्य करेंगे और इस बीच में कहीं से चुन जायेंगे तो ठीक है अन्यथा वह कार्य नहीं करेंगे। बिल्कुल यही चीज मुख्य मंत्री के लिये लागू है।

जहां तक नेता का प्रश्न है, तो नेता तो उस दल का होता है जो दल अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है और मुख्य मंत्री होता है वह उस दल के नेता के रूप में यहां पर बैठता है। इस लिये मैं अपने मित्र तिवारी जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा कर के दोनों चीजों को मिलायें नहीं। नेता सदन का प्रश्न तो इस माने में है कि वह इस दल के नेता हैं जिस दल के द्वारा यहां पर मंत्रि मंडल का निर्माण हुआ है। और वह मुख्य मंत्री इसलिये हैं कि हम सब लोगों ने, जिस दल ने मंत्रिमंडल का निर्माण किया है, उनको अपने दल का नेता बनाया है। और मैं फिर एक बार इस चीज को दोहरा देना चाहता हूं कि समस्त संविधान की पुस्तक में नेता सदन का कहीं जिक्र नहीं है।

क्या मैं आज उन चीजों का जिक्र करूं कि माननीय गुप्ता जी तो इस सदन के सदस्य नहीं थे जब कि वह यहां पर नेता सदन और मुख्य मंत्री के रूप में बैठे ? मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब श्रीमती इन्दिरा जी केन्द्र में बैठीं तो क्या वह लोक सभा की सदस्या थीं ? यही नहीं, मंडल साहब का भी जिक्र कर देना चाहता हूं । जब वह आये तो वह भी सदन के सदस्य नहीं थे । मेरे मित्र, जैसा कि मुझे कहना नहीं चाहिये, ने मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस का जिक्र कर दिया । दुर्भाग्यवश मेरे पास वह है नहीं, लेकिन उन्होंने जिक्र १९१७ से पहले का किया । कदाचित् कुछ ही कमी है कि वह वकील के रूप में न्यायालय में नहीं जाते । यदि जाते तो जाने कैसी बहस करते । वह ऊपर वाला हिस्सा तो पढ़ देते और नीचे वाला हिस्सा गायब । मैं जानता हूं इसमें जो लिखा है । इसमें केवल यह लिखा है कि १९१७ से पूर्व ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह होता था लेकिन उसके बाद का जो जिक्र है कृपा करके उसे आप पढ़ लें ।

श्री अध्यक्ष--

आप पढ़िये ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

जी हां, मैं पढ़ूंगा यदि आवश्यकता होगी । कोई मित्र उसे पढ़ देंगे । लेकिन मैं यह निश्चय के साथ कह सकता हूं कि संविधान में कहीं भी नेता सदन का जिक्र नहीं है और यह सदन संविधान के अन्तर्गत बैठता है, उसके अन्तर्गत कार्य करता है और उसके अनुच्छेद २०८ के अन्तर्गत आप जो नियम बनाते हैं उनसे भी आबद्ध है । तो संविधान में जब नेता सदन का कोई जिक्र नहीं तो वह इस सदन की बात नहीं है । नेता सदन तो इस माने में है कि जिन्होंने इस मंत्रिमंडल का निर्माण किया है और आप जानते हैं कि उसमें कौन कौन घटक हैं, उस दल के वह नेता हैं । इस लिये मैं पुनः कहना चाहता हूं कि मेरे मित्र ने जो दलीलें यहां पर पेश की हैं उनमें कोई सार नहीं है, वह ऐसी दलीलें हैं जिनका कोई अर्थ नहीं ।

मान्यवर, प्रश्न यह उठा दिया गया कि यह मामला न्यायालय में है या नहीं । कदाचित् इतना तो मुझे मालूम है कि जब यह लखनऊ बेन्च में था तो कुछ इसी प्रकार की बातें कही गयी थीं । मुझे क्षमा करें माननीय नारायणदत्त जी, यहां के जो अच्छे वकील हैं उनके मस्तिष्क में यह बात आयी नहीं क्योंकि वह जानते हैं कि संविधान में नेता का जिक्र नहीं है । लेकिन इतना जरूर कहा गया कि चूंकि नेता नहीं हैं इसलिये मुख्य मंत्री नहीं हैं । नारायणदत्त जी ने जो कहा उसके बिल्कुल विपरीत । क्योंकि वह नेता इस माने में नहीं हैं कि वह अल्पमत में हैं, इस प्रकार की बातें यहां पर आयीं । इसलिये मैं पुनः कह देना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई बात न कहें कि यह संविधान के अन्तर्गत है । संविधान में कोई जिक्र कहीं पर नहीं है ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)--

अध्यक्ष जी, मेरे भाई ने कहा कि इस पुस्तिका में "नेता सदन" कहीं पर नहीं आया है । केवल मैं इतना ही कह देना चाहती हूं कि नियम २४ में है अध्याय ६ में--"परन्तु अध्यक्ष सदन-नेता के परामर्श से कार्य के क्रम में परिवर्तन अथवा संशोधन कर सकेंगे ।"

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

हमारी बहिन ने एक प्रकार से हमारी संपुष्टि दे दी । मैं भी स्वयं यही कहता हूं । कोई मेम्बर बाहर का है इसलिये वह नेता सदन नहीं हो सकता , ऐसा कहीं पर दिखला दें या संविधान में दिखला दें तो मैं आभारी हूंगा । संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में यह जरूर लिखा है कि--

"Although the Institution is much older, the Leadership is not a statutory office nor is the Leader."

श्री चेतराम गंगवार—

व्यवस्था का प्रश्न है । यह निर्विवाद सत्य है कि आज से २ महीने पहले ऐसा निर्णय हो गया था राज्यपाल की ओर से, जब माननीय चौधरी चरण सिंह चीफ मिनिस्टर थे और इंडीकेट के लोगों ने उनको समर्थन दिया था तो उनकी सरकार थी । पहले उनको सस्पेंड किया गया और जब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो उनको बरखास्त कर दिया गया और फिर यह हुआ कि दूसरा मुख्य मंत्री बनाया जाय । इसके माने यह थे कि पहले कोई निर्णय गलत हो गया था, यह निर्विवाद सत्य है । लेकिन पुनः जब गवर्नर ने एक निर्णय लिया कि बिला इस सदन के बुलाये हुये, बिला हम सदस्यों को अपने कक्ष में बलाये हुये और राय लिये हुये एक ऐसे व्यक्ति को जो चौराहे पर खड़ा हुआ था या दूसरी जगह का, पार्लियामेंट का सदस्य था उसको यहां कुर्सी पर लाकर बैठाल दिया गया, तो मान्यवर मैं इस बात की व्यवस्था चाहूंगा । उसमें यह भी है, लोग कहते हैं, सब लोगों ने कहा कि माननीय टी० एन० सिंह बहुत भले, शरीफ आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं भी मान सकता हूं, लेकिन जहां ४२५ व्यक्ति सदन में बैठे हों उनमें से एक भी शरीफ नहीं है, कोई ऐसा विद्वान और काबिल नहीं है जो इस सदन को चला सके ? यही नहीं, उन्होंने जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं पर तुषारपात् किया है । हम यहां श्रीमन् जनता के चुने हुए आये हैं मैं स्पीच नहीं दे रहा हूं । मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । चौधरी गिरधारी लाल मौजूद थे लेकिन चौधरी चरण सिंह और गुप्ता जी ने यह साबित कर दिया कि किसी अछूत को वह मुख्य मंत्री बनाना नहीं चाहते । यह सरकार रहेगी नहीं. . . .

(व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष—

आपकी व्यवस्था मैंने स्वीकार नहीं की । आप कृपया बैठें ।

माननीय उदित नारायण ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल एक ही चीज कहना चाहता था और वह यह कि. . . .

(व्यवधान)

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, आज मेरा पहला सवाल था और इस समय ४० मिनट बीत चुके हैं, यह प्रश्नोत्तर काल है, यह समय इसी में समाप्त हो जायगा । मेरा पहला सवाल था. . . .

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि. . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, मैंने श्री उदित नारायण को बुलाया है ।

श्री उदित नारायण (जिला फतेहपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं और आप के माध्यम से अपन माननीय सदस्य जो उधर बैठे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि हमारे सामने जो यह प्रश्न उठा है और वह जिस रूप में उठा है उसको आप जरा साफ साफ समझ लें ताकि उसका उत्तर देन में कोई कनफ्यूजन न रह जाय । जो प्रश्न सदन के सामने है वह वैधानिक है । इसमें कोई सन्देह नहीं है और यह मैं अपनी राय व्यक्त कर रहा हूं कि यहां कोई भी बाहर के सज्जन मुख्य मंत्री बन सकते हैं, यह विधान में है और इसमें कोई २ रायें नहीं हो सकतीं । लेकिन यह

भी उस पक्ष वालों के सोचने की बात है कि आज तक की क्या परम्परायें हैं। हमारे मित्र श्री लक्ष्मी रमण जी ने कहा कि इस संविधान में कहीं भी 'नेता' शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। यह ठीक है कि वहां कहीं पर भी 'नेता सदन' का उपयोग नहीं हुआ है, केवल चीफ मिनिस्टर का ही प्रयोग हुआ है लेकिन संविधान की धारा २०८ के अन्तर्गत जितने नियम बनते हैं वे सब उस संविधान के ही नियम हैं इसलिये यदि नियमों के अन्तर्गत नेता सदन शब्द का प्रयोग किया गया है तो हम यह नहीं कह सकते कि वह संविधान के अनुसार नहीं किया गया है। आप की नियमावली जो प्रक्रिया की है उसमें भी एक जगह नहीं कई जगह उसका जिक्र है, मेरी बहिन ने तो एक ही जगह बताया एक जगह नहीं २५ जगह उसमें नेता सदन का उपयोग किया गया है। संविधान की धारा २०८ के अन्तर्गत जो प्रक्रिया है उसमें जो कार्य नेता सदन के सुपुर्द है वह काम करने के लिये यदि नेता सदन न हों तो इस प्रक्रिया का पालन नहीं हो सकता और जिस सदन में प्रक्रिया का पालन नहीं हो सकता वह सदन सही रूप से गठित नहीं है।

दूसरी एक और विचारणीय बात यह है कि इस सदन में इस पर भी कोई २ रायें नहीं हैं और जैसा कि मैंने कहा कि इसमें भी कोई २ रायें नहीं हो सकतीं कि यदि आप संविधान की धारा १६४ व १७७ दोनों को पढ़ें तो इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो सदन का सदस्य नहीं। वह मुख्यमंत्री बनकर ६ मास तक सदन में बैठ सकता है, यह सही है और इसके अनुसार श्री टी० एन सिंह आज यहां सही बैठे हैं, वह गलत नहीं बैठे हैं मैं यह कहना भी नहीं चाहता कि वह गलत बैठे हैं। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि यह जो हमारी प्रक्रिया नियमावली है और उसके अनुसार जो आज तक की परम्परायें है उनके अनुसार इसमें भी सन्देह नहीं है कि वह सदन के नेता सदन में मुख्य मंत्री अवश्य हैं लेकिन उतना ही सही यह भी है कि सदन के नेता सदन के सदस्यों में से ही हो सकते हैं, बाहर के जो लोग आयेंगे वह यहां आकर चीफ मिनिस्टर बनकर बैठेंगे और मुख्य मंत्री की हैसियत से यहां अपनी भूमिका अदा करेंगे और सारे कार्य कर सकेंगे। पर यदि वे सदन के सदस्य न हों तो उनके लिये लाजमी है और मैं समझता हूं कि यह एक फार्मल बात है कि उनको सदन के लिये अन्य व्यक्ति को जो सदन का सदस्य हो नेता चुन लें।

जैसे कहा गया कि इन्द्रा जी जब प्राइम मिनिस्टर बनीं तब वह सदन की सदस्या नहीं थीं और वहां उस वक्त सत्यनारायण सिन्हा जी को सदन का लीडर बनाना पड़ा था। इस तरह से उस वक्त वहां काम चलाया गया। अभी तक जो पुस्तकें पढ़ी गईं और बातें कही गईं उनका मतलब एक तरह से उल्टा लगा दिया गया। एक ही व्यक्ति यदि इस सदन का सदस्य है तो वह मुख्य मंत्री और नेता सदन दोनों हो सकता है लेकिन कोई व्यक्ति यदि मुख्य मंत्री है और इस सदन का सदस्य नहीं है तो वह नेता भी नहीं हो सकता है। यह पोजीशन बिल्कुल साफ है और इसमें कोई २ रायें नहीं हो सकतीं। माननीय गुप्ता जी के केस का भी एक उदाहरण है, मैं तो उस समय सदस्य नहीं था परन्तु कदाचित उस समय भी इस कार्य को करने के लिये, इस आवश्यकता को पूरा करने के लिये श्री हुकुम सिंह जी नेता सदन का कार्य करते थे।

(नहीं नहीं की आवाजें)

आप सब जगह देखेंगे कि नेता सदन की भूमिका जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है वह अदा नहीं कर सकता। इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी फार्मल सी बात है। श्रीमन् जो उधर की ओर माननीय सदस्य बैठे हैं, यदि सदन को चलाना है तो उनमें से ही सदन का नेता होना आवश्यक है। मैं इसलिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी इस बात को मान लिया जाय कि वे मुख्य मंत्री तो हो सकते हैं लेकिन नेता सदन नहीं। और जहां यह सही है कि श्री टी० एन० सिंह मुख्य मंत्री हो सकते हैं, वहीं यह भी सही है कि वे नेता सदन नहीं हो सकते हैं। मेरी उधर के माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि जो उनकी अपनी कमी है, उसको पूरा कर लें।

*श्री गोविन्द सिंह---

श्रीमन् मेरा भी यही निवेदन है कि जैसा कि अभी माननीय शर्मा जी ने कहा कि इस सदन का कार्य तब तक नहीं चल सकता है, जब तक कि इस सदन का कोई नेता न हो। माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने संविधान की बात कही है यह बात सही है लेकिन इस सदन की जो कार्य-संचालन नियमावली है, वह उसी संविधान के अन्तर्गत बनायी गयी है। इसके नियम २४ को आप देख लें। इसके अन्तर्गत यह है कि जो सदन का कार्यक्रम है, वह माननीय अध्यक्ष नेता-सदन के परामर्श से लेंगे। इसके अतिरिक्त नियम २९९ और देख लें। उसमें दिया हुआ है कि अगर माननीय अध्यक्ष किसी सदस्य को इंगित करेंगे तो सदन से उसके निकालने का प्रस्ताव नेता-सदन करेंगे। मेरा निवेदन है कि चूंकि कार्य-संचालन नियमावली में नेता-सदन के बारे में कुछ कार्य, कुछ नोशन्स रखे गये हैं, जो नेता-सदन के परामर्श से ही हो सकते हैं और किसी के परामर्श से नहीं हो सकते हैं, तो इस सदन का कार्य-संचालन तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि इस सदन का कोई नेता न हो। क्या मुख्य मंत्री नेता सदन हैं, या नहीं ? मुख्य मंत्री अलग पद है और नेता-सदन अलग पद है।

एक सदस्य---

केरल में क्या है ?

श्री गोविन्द सिंह---

केरल के अन्दर भी जब माननीय मेनन मुख्य मंत्री थे तो नेता सदन माननीय दामोदरन थे। लोक सभा में इस बात के नियम हैं कि यदि लोक सभा का सदस्य प्रधान मंत्री नहीं है तो प्रधान मंत्री किसी दूसरे मंत्री को जो कि लोक सभा का सदस्य होगा, उसको नेता-सदन कायम करेंगे। केरल में जैसा मैंने अभी कहा माननीय मेनन वहां के नेता-सदन नहीं थे, नेता-सदन दामोदरन थे जो मंत्री मंडल के सदस्य थे। इसलिए यदि आपको इस सदन का कार्य संचालन करना है तो इस बात की व्यवस्था हो जानी चाहिए कि नेता सदन कौन है ? हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता और ये पंचतंत्रीय दल एक जगह बैठ कर तय कर लेते कि हमारा नेता-सदन यह है तो अच्छा होता लेकिन वे तय नहीं कर सके हैं उनमें होड़ लगी हुयी है। माननीय चरण सिंह, माननीय चन्द्रभानु गुप्त या माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी जी नेता-सदन बनें, यह तय नहीं हो पा रहा है। माननीय गिरधारी लाल जी जो पहले नेता विरोधी दल थे, उनको नेता-सदन बनाया जाय यह भी तय नहीं कर सके हैं। इसलिए जब तक नेता-सदन तय न हो जाय, इस सदन का कार्य संचालन नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष---

यदि आपकी बात को सब माननीय सदस्य मान लें तो ऐसा कुछ हो सकता है।

*सहकारिता मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)---

माननीय अध्यक्ष जी, मैं भी विरोधी दल में रहा हूं। आप भी जानते हैं और माननीय नारायण दत्त तिवारी भी जानते हैं। श्रीमन्, मुझे इस बात का अनुभव है कि जब हम लोग विरोधी दल में बैठते हैं, तो कुछ दिलचस्प प्रश्न पैदा करते हैं लेकिन हम को इस बात का भी अनुभव है कि वे प्रश्न कितने भी नाटकीय ढंग से उठायें जो हमारा संविधान है, या सदन की नियमावली है, उनके अनुसार कार्य चलता रहता है। अध्यक्ष महोदय, मुझ से कुछ छिपा नहीं है।

श्रीमन् आप देखें, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में नेता-सदन का नाम कहीं पर नहीं आया है। केवल एक चीज भारतीय संविधान से प्राप्त हुई है कि राज्यपाल मंत्रियों को चुनेंगे आर्टिकल १६४ के अनुसार और कोई भी मंत्री ६ महीने तक मंत्री की हैसियत से कार्य कर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सकेगा बिना किसी भी सदन का सदस्य बने हुए। इतना ही संविधान में लिखा हुआ है। यह सही है कि हमारी नियमावली में नेता सदन के बारे में एक दो स्थान पर प्रयोग किया गया है। माननीय नेगी जी तो कुछ भी कहें, मुझे आश्चर्य नहीं होगा लेकिन माननीय उदित नारायण शर्मा जो मान्य एडवोकेट हैं और कानून के जानकार व्यक्ति हैं, जब इस प्रकार की बात करते हैं तो आश्चर्य होता है। नियमावली में जहां मंत्रियों की परिभाषा है, उपवेशन आदि की परिभाषा है वहां नेता सदन की कोई भी परिभाषा नहीं दी हुई है. . .

श्री उदित नारायण—

नेता विरोधी दल की भी परिभाषा नहीं है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

नेता विरोधी दल की परिभाषा नहीं है लेकिन मान्य परम्पराओं के अनुसार. . .

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह—

मुख्य मंत्री की भी परिभाषा नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैंने आपसे आरम्भ में ही निवेदन किया था कि जिस प्रकार से यह कार्य हो रहा है मैं उन सब अनुभूतियों का आदर करता हूं क्योंकि मैं सब कर चुका हूं, मुझे उसमें आश्चर्य नहीं है। लेकिन मैं निवेदन कर रहा था कि जैसा कि माननीय शर्मा जी ने कहा कि नेता विरोधी दल की भी परिभाषा नहीं है लेकिन मान्य परम्पराओं के अनुसार सारे प्रदेश की जनता या सारे सदस्य इस बात को जानते हैं कि इस विधान सभा में नेता विरोधी दल श्री कमलापति त्रिपाठी हैं न कि श्री उदित नारायण शर्मा। इसी तरह से नेता सदन की भी कोई परिभाषा हमारी नियमावली में नहीं है। नेता शब्द का कोई भी नियम हमारे कान्स्टीटयूशन में नहीं है। नियमावली में बिना परिभाषा दिये हुए इसका प्रयोग एकाध स्थान पर आया है। इससे यह सिद्ध है कि चूंकि परिभाषा नहीं दी हुई है इसलिये यह मान्यता है, यह निश्चित चीज है कि जो भी मुख्य मंत्री संविधान के अनुसार यहां पर बनाये जाते हैं वे नेता-सदन रहते हैं। और वे नेता-सदन हैं अथवा नहीं यह श्रीमन् माननीय नारायण दत्त तिवारी के नाटकीय ढंग से उठा देने पर एक ओर से मेंजें थपथपा दी गईं। श्रीमन्, इस समय भी बहुमत देख लिया जाय।

श्रीमन्, हम जब कभी-कभी सिनेमा देखने जाते हैं तो उसमें किसी सीन में एक ओर जज बैठ जाता है, उसमें वकील जितनी भी गैर-कानूनी बहस करता है उस पर जनता तालियां पीटती है। वैसा ही संविधान माननीय नारायण दत्त तिवारी प्रस्तुत करना चाहते हैं। नेता सदन मुख्य मंत्री हैं। सारी मान्यताओं के अनुसार राज्यपाल के द्वारा जो मुख्य मंत्री बनाये गये हैं वे ही नेता सदन हैं। यह तो कान्स्टीटयूशन में है। वैसे मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नेता सदन नहीं चुने गये यह गलत है। यह सब को मालूम है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल के सदस्यों ने, जिसमें कांग्रेस के लोग जनसंघ, स्वतन्त्र पार्टी के लोग और बहुत से निर्दलीय सदस्य हैं यहां पर काउन्सिल भवन में कांग्रेस पार्लियामेंटरी आफिस में बैठ कर इस बात को निश्चित किया था कि हम लोगों का जो संयुक्त विधायक दल है वह नेता के लिये स्वयं पार्टी के नेताओं को अधिकृत करते हैं जो राष्ट्रीय नेताओं से परामर्श करके इसे निश्चित करेंगे। यह सारी चीजें समाचार-पत्रों में आ चुकी थीं। सभी पार्टियों के नेताओं ने दिल्ली में बैठकर एक नेता का चुनाव किया था और माननीय त्रिभुवन नारायण सिंह को अपना नेता चुना था। इस प्रकार सर्वसम्मति से संयक्त विधायक दल ने उनको अपना नेता चुना।

(व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार—

(व्यवधान)

यह गलत बयानी कर रहे हैं, कोई बैठक संयुक्त विधायक दल की नहीं बुलाई गयी. . . .

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं आपके माध्यम से श्रीमन्, यह निवेदन कर रहा था. . .

(व्यवधान)

एक सदस्य—

आप यह बता दें कि क्या नेता विरोधी दल भी कोई बाहर का व्यक्ति हो सकता है ?

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं यह निवेदन कर रहा था कि चूंकि हमारे संविधान में नेता-सदन के लिये कुछ नहीं कहा है, और नियमावली में भी उसकी कोई परिभाषा नहीं है . . . .

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या नेता लोग ही सदन का नेता चुनते हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया उनको बोलने दें।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं श्रीमन् भारतीय संविधान और नियमावली में क्या है वह निवेदन कर रहा था। अब मैं एक घटना की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यद्यपि वह घटना सारे समाचार-पत्रों में छपी और उत्तर प्रदेश की समस्त जनता जानती है और वह घटना यह थी कि विधान सभा में जो संगठन कांग्रेस, जन संघ, भारतीय क्रान्ति दल, स्वतंत्र पार्टी, एस० एस० पी० आदि दल थे उन्होंने सभी ने अपनी अलग-अलग बैठकें कीं और सभी ने अपने-अपने नेताओं को यह अधिकार दिया कि वे अपने राष्ट्रीय नेताओं से परामर्श करके संयुक्त विधायक दल की जो स्थापना हुई थी उसके नेता का चुनाव करें। यह एक फक्ट था. . .

(व्यवधान)

एक सदस्य—

श्री जयराम वर्मा ने क्या बयान दिया था ? . . . .

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह परिहार—

मैं एक जानकारी चाहता हूं। . . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें।

श्री हुकुम सिंह परिहार—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कभी नेता-सदन के चुनाव के लिये संयुक्त विधायक दल की बैठक हुई थी?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

पार्टियों में क्या हुआ, इससे इसका संबंध नहीं है। आप कृपया शान्त रहें। उनको बोलने दें।

श्री चेतराम गंगवार—

अध्यक्ष महोदय, मुझसे कुछ छिपा नहीं है। मैं भारतीय जनसंघ का सदस्य हूं। उस समय यह तय हुआ था कि सारी पार्टीज के लोग मिल कर नेता को चुनेंगे। यह कभी तय नहीं हुआ था कि नेता, नेता को चुन लें।

श्री अध्यक्ष—

श्री नारायण दत्त ने यह प्रश्न नहीं उठाया है, यह उससे सम्बन्धित नहीं है। इसलिए यह पार्टियों का मसला चर्चा में न उठाएं।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

जो अपनी पार्टी की मीटिंग हुई थी, उसमें यही सब तय हुआ था जो राय साहब कह रहे हैं, और उस समय इन्होंने (श्री गंगवार) भी इसको माना था।

श्री चेतराम गंगवार—

खन्ना जी ने मेरा नाम लिया, लेकिन वह स्वयं असत्य कह रहे हैं। जब कि वह स्वयं लालचवश सरकार में ४२ आदमियों को लेकर बैठ गये हैं।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में आचार्य नरेन्द्रदेव रहे और जब वह पार्टी छोड़े थे, तो उन्होंने असेम्बली से भी इस्तीफा दे दिया था। तो मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं, जो साहब अपनी पार्टी को छोड़कर दलबदलू हो गये हैं, कि वह सबसे पहले असेम्बली से इस्तीफा दे दें, तब उनको पता चलेगा कि उनकी क्या स्थिति है। वह बहुत डींग हांक रहे हैं, उनको उस हालत में असलियत का पता चलेगा।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं। लेकिन पहले दलबदलुओं के नेता चौधरी चरण सिंह इस्तीफा दें, तो आगे सब लोग करें।

श्री अध्यक्ष—

जो श्री नारायणदत्त जी ने प्रश्न उठाया, उस तक आप लोग अपना भाषण सीमित रखिए। पार्टी के अन्दर क्या तय हुआ, उसमें हमें नहीं जाना चाहिए।

श्री कृष्णानन्द राय—

नारायणदत्त जी की बात में दो बातें निहित हैं। एक उसका संवैधानिक पहलू है और एक फैक्चुवल पहलू है। संविधान में चीफ मिनिस्टर का जिक्र है और हमारी नियमावली में

[श्री कृष्णानन्द राय]

नेता सदन का जिक्र है। लेकिन उसकी परिभाषा नहीं है। संविधान और नियमावली के अनुसार जो मुख्य मंत्री चुना जाए, वही नेता सदन होता है। लेकिन मैं एक फैक्ट बता रहा हूं। श्री त्रिभुवन नारायण सिंह को, विधान सभा की उन सभी राजनैतिक दलों के सदस्यों ने, जो अपना बहुमत बनाते थे अपना नेता चुना है। और उनका बहुमत है, इसलिए उनको चुनौती नहीं दी जा सकती।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

श्री नारायणदत्त जी ने जो पढ़ा था, उसको आचार्य जी पूरा कर देना चाहते हैं, इसलिए उनको पूरा कर लेने दिया जाए।

श्री बांकेलाल--

आप सबको समय देते ह, लेकिन मेरे कितने बार खड़े होने पर भी नहीं मुझे समय देते हैं।

(व्यवधान)

श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

इस तरह से इस सदन का संचालन नहीं हो सकता है। मैं बोलना चाहता हूं मुझे भी सुन लिया जाए, तब आगे कुछ काम हो सकता है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपको नहीं बुलाया है आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मैंने जैसा उस समय कहा था, मेरे पास मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

माननीय टी० एन० सिंह...

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

सुनायी नहीं दे रहा है। (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य से) आप सुनाइये।

श्री मुमताज मोहम्मद खां--

नेता सदन जब तक नहीं चुना जायगा तब तक सदन का कोई संचालन नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष--

मैंने इजाजत नहीं दी। कृपा करके बैठें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मैंने उस समय कहा था...

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)--

प्वाइंट आफ आर्डर। एक प्रश्न के ऊपर एक माननीय सदस्य एक बार बोल सकते हैं। आचार्य जी एक मर्तबा बोल चुके हैं। जब तक और सदस्य बोल न लें तब तक उनको दोबारा बोलने का मौका नहीं देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि नारायणदत्त जी ने जो बात कही थी, उन्होंने उस पर कहा था कि वह देखकर पढ़ कर सुना देंगे। (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य से) आप भाषण न दीजिये, पढ़कर सुनाइये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं पढ़कर सुना रहा हूं।

"Until 1917 the Prime Minister, if a member of the House of Commons also acted as Leader of the House:"

१९१७ तक यदि प्राइम मिनिस्टर हाउस आफ कामन्स का मेम्बर होता था तो लीडर आफ दि हाउस भी रहता था। उसके बाद—

"If he was a member of the House of the Lords the duties of the Leader of the House of Commons were performed either by the First Lord of the Treasury or by the Chancellor of the Exchequer."

१९१७ तक स्थिति यह है कि यदि हाउस आफ लार्ड्स का वह सदस्य होता था तो उनके कर्तव्यों का वहन फर्स्ट लार्ड आफ दि ट्रेजरी या चांसलर आफ एक्सचेकर करते थे।

"In 1917, Mr. Lloyd George appointed Mr. Bonar Law as Chancellor of the Exchequer and Leader of the House, but the practice of having a separate Leader of the House while the Prime Minister was in the House of Commons was not continued between 1922 and 1942".

यदि हाउस आफ कामन्स में प्राइम मिनिस्टर उपस्थित होते थे तो दूसरा नेता सदन बताया जाय यह प्रैक्टिस १९२२–१९४२ तक नहीं रही।

श्री अध्यक्ष—

"वाज इन दि हाउस आफ कामंस" का मतलब यह भी हो सकता है कि वह उसका मेम्बर हो।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता।

"It has, however, been the regular practice since the later date."

इसको पढ़ना पड़ेगा, पृष्ठ २५९ के संदर्भ में, हमारे नियमों और सदन के संदर्भ में। इसका अर्थ यह है कि यदि हाउस आफ कामंस में नहीं हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हाउस आफ कामंस के मेम्बर हैं या नहीं। १९२२ और १९४२ के बीच में यह प्रैक्टिस नहीं रही। उसके बाद रही या न रही, उसके बाद फिर हो गई, मान्यवर, इसको जरा पढ़ें।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)—

क्या लायड जार्ज और बोनल ला दोनों हाउस आफ कामंस के मेम्बर थे १९१७ में?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

जी हां।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

तो लायड जार्ज प्राइम मिनिस्टर हुए और उन्होंने लीडर आफ दि हाउस बनाया बोनर ला, चैंसलर आफ एक्सचेकर को। दोनों हाउस के मेम्बर थे। आपने जो पढ़ा इसके माने सिर्फ यह हैं कि प्राइम मिनिस्टर मौजूद है तो बोनर ला एज प्राइम मिनिस्टर काम नहीं करेंगे

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

ऐसा नहीं है। १९१७ में लायड जार्ज ने बोनर ला को बनाया लेकिन इससे यह जाहिर नहीं होता है कि वह उसके मेम्बर थे या नहीं। मान्यवर, जैसा कि मैंने कहा पेज २५९ के संदर्भ में पढ़ना पड़ेगा :

Leader of the House of Commons

"The member of the Government who is primarily responsible to the Prime Minister for the management of Government business in the House of Commons is known as the Leader of the House."

इसके अतरिक्त नहीं है, उनका काम सिर्फ इतना ही है।

श्री अध्यक्ष

माननीय नारायणदत्त तिवारी को जवाब देने दीजिये।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या उस तरफ से कोई चिट्ठी इस तरह की आपको मिली है कि इस सदन का नेता कौन है ?

श्री अध्यक्ष—

नेता सदन के बारे में नहीं आई है, यह आई है कि इन पार्टीज नें इनको अपना नेता चुना है।

श्री रियासत हुसेन—

अब मैं आपका ध्यान नियमावली की धारा २४ की तरफ ले जाना चाहता हूं। श्रीमन् मेरी बात सुन लीजिये। इस नियमावली में नेता सदन की बात आई है। नियमावली की २४ धारा देख लीजिये। नेता सदन के परामर्श से ही सदन का कार्य हो सकता है।

श्री अध्यक्ष

माननीय नारायणदत्त तिवारी को जवाब देने दीजिये।

श्री रामकरन

अध्यक्ष महोदय एक बात कहना चाहता हूं। मुझे कुछ निवेदन करना है। जब मैं खड़ा हुआ था तो आपने कहा था कि समय दूंगा लेकिन अब आपने तिवारी जी को समय दे दिया।

श्री अध्यक्ष—

मैं आगे ऐसा करने वाला हूं।

श्री रामकरन—

मुझे व्यवस्था के बारे में कहना है। एक माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और उस प्रश्न पर डिबेट शुरू हो गया। दो बातें हैं। नेता सदन हाउस का मेम्बर होता है या नहीं। दूसरे नेता सदन हाउस के मेम्बर को इंगित करता है। कान्डोलेन्स में भी आप पुकारते रहें कि नेता सदन अपने विचार प्रकट करें। तो यह सभी व्यावहारिक बातें हैं। अगर कान्डोलेन्स की बात आती है तो आप नेता सदन किसको पुकारेंगे या किसीको इंगित करना है तो कौन करेगा ?

श्री मुमताज मोहम्मद खां--

अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट समय चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

श्री नारायणदत्त तिवारी, आप बोलिये।

श्री मुमताज मोहम्मद खां--

आपने कहा था कि कुछ पार्टीज ने श्री टी० एन० सिंह को अपना नेता चुना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या विधायकों ने श्री टी० एन० सिंह को अपना नेता चुना है? मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि संगठन कांग्रेस के विधायकों ने उनको अपना नेता नहीं चुना है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन् मैंने बहुत ध्यान से अपने उन सम्मानित साथियों और सम्मानित सदस्यों की दलीलों को सुना जिन्होंने मेरे व्यवस्था के प्रस्ताव पर उत्तर देने की चेष्टा की। मैं समझता हूं कि इस सदन के इतिहास में कभी भी सरकारी पक्ष की ओर से इतनी लचर और इतनी नियमों के विरुद्ध दलील भिड़ाने की कोशिश नहीं की गयी है। एक सम्मानित सदस्य, देहरादून ने जवाब देने की चेष्टा की और आखिर में जवाब देते देते कह गये कि मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

एक क्लैरीफिकेशन चाहता हूं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

वह तो थोड़ा सा मजाक था।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

दूसरी ओर सम्मानित यातायात मंत्री जी के पास मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस की पुस्तक नहीं थी और वे बगैर पुस्तक देखे हुए ही अपनी याददाश्त के आधार पर हवाला दे रहे थे। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह रही कि जिन्हें नेता सदन कहा जा रहा है उन्होंने कुछ नहीं कहा। जो नेता सदन हैं वह पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं और उनका तजुर्बा भी रहा है लेकिन उन्हें इतना साहस नहीं हुआ कि वह सदन के सामने कह सकें कि वे नेता सदन हैं। यह, श्रीमन्, इस सदन की हालत है। एक बात जो मैं समझता हूं वह यह कि वे दुविधा में थे। एक तरफ तो उनका पार्लियामेंटेरियन मानव कह रहा था कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं सदन का सदस्य नहीं हूं। विधान सभा के लिये नहीं चुना गया हूं, इसलिये कैसे नेता हो सकता हूं। दूसरी तरफ चूंकि सरकार में हैं और मुख्य मंत्री बने हुए हैं तो यह कैसे कह दूं कि मैं नेता नहीं हूं। तो श्रीमन् यह विडम्बना रही। हमारे यातायात मंत्री जी ने मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस का हवाला दिया जिस पर आपने रूलिंग दी .....

श्री अध्यक्ष--

मैंने रूलिंग नहीं दी थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्रीमन् रूलिंग न सही लेकिन उसका अर्थ यही है। उन्होंने यह पढ़ा--

"In 1917 the Prime Minister, if a member of the House of Commons., also acted as leader of the House. If he was member of the House of Lords the duties of the leader of the House of Commons were performed either by the First Lord of the Treasury or by the Chancellor of Exchequer."

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

इसका अर्थ यह है कि सन् १९१७ तक प्राइम मिनिस्टर यदि हाउस आफ कामन्स के मेम्बर हैं तो नेता सदन भी हुआ करते थे। और अगर हाउस आफ लार्ड्स के मेम्बर हैं तो वह वित्त मंत्री या चान्सलर आफ एक्सचेकर को यह अधिकार दे दिया करता था। ऐसा तो होता ही नहीं कि वह न तो हाउस आफ कामन्स का सदस्य हो और न हाउस आफ लार्ड्स का ही सदस्य हो।

(व्यवधान)

मेरे पास और भी बहुत सी किताबें हैं जिनके अन्दर इसको और भी स्पष्ट रूप से यह दिया हुआ है कि उसको किसी न किसी सदन का सदस्य अवश्य ही होना चाहिये। समय की कमी के कारण मैं उसका उद्धरण यहां इस समय नहीं दे सकता हूं। प्राइम मिनिस्टर के पास सरकारी और दूसरे प्रकार की बहुत सी ड्यूटीज थीं क्योंकि वे काफी बढ़ गई थीं उस समय अपनी सहायता के लिये प्राइम मिनिस्टर ने हाउस आफ कामन्स अथवा हाउस आफ लार्ड्स के मेम्बर हों, को लीडर आफ दी हाउस मुकर्रर कर दिया। उसको इसीलिये मुकर्रर किया था कि उनका जो भार है वह कुछ हल्का हो जाय। मान्यवर, इस सम्बन्ध में बहुत सी पुस्तकें उपलब्ध हैं जिनको देखा जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्वाइन्ट आफ आर्डर की हार मानने के लिये तैयार हूं यदि मेरी दी हुई दलील गलत साबित हो जाय। अध्यक्ष महोदय, आप इस पर निर्णय दें। इसके विरोध में कोई भी आवाज नहीं आ रही है और अब सभी लोग चुप मारे बैठे हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, मैं तैयार हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

१९१७ से लेकर १९२२ तक लायड जार्ज ने बोनर ला को बनाया था जो हाउज आफ कामन्स के सदस्य थे और लायड जार्ज हाउस आफ लार्ड्स के मेम्बर थे। यह लड़ाई के जमाने की बात है और उन्होंने बोनर ला को लीडर आफ दी हाउज मुकर्रर कर दिया था। उसके बाद १९२२ से लेकर ४२ तक यह प्रथा कान्टीन्यूड नहीं रही यानी प्राइम मिनिस्टर खुद ही लीडर आफ दी हाउज रहा। यानी १९२२ के बाद यह प्रथा नहीं रही। किसी प्रकार का भी कोई उद्धरण नहीं दिया जा सकता कि प्राइम मिनिस्टर यदि हाउज आफ कामन्स का मेम्बर नहीं है तो वह लीडर आफ दी हाउज हो सकता है। यह इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हाउज आफ लार्ड्स का जो मेम्बर था वह हाउज आफ कामन्स का लीडर हो गया। यहां पर तो यह भी नहीं लागू होता है। हमारे मुख्य मंत्री जी का कोई निर्वाचन क्षेत्र ही नहीं है ऐसी स्थिति में मैं उनको क्या कहूं ? हमारे मुख्य मंत्री जी तो काउन्सिल के भी मेम्बर नहीं हैं। इस प्रकार से हमारे यातायात मंत्री जी का उद्धरण यहां पर भी नहीं लागू होता है क्योंकि हमारे मुख्य मंत्री जी विधान परिषद के भी मेम्बर नहीं हैं।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी एस० एस० पी० के श्री उग्रसेन, श्री अर्जुन सिंह भदोरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं जो एस०एस०पी० के मंत्रीगण यहां हैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वे अपनी पार्टी के इन सदस्यों के रिहाई के लिये प्रयत्न करें। इसके विरोध में मैं सदन का त्याग कर रहा हूं।

(श्री मंजूर अहमद सदन त्याग कर चले गये।)

श्री नगीना सिंह (जिला बलिया)—

हमारे दल के मंत्री जी यहां बैठे हुये हैं, उन्होंने इस कांड पर इस्तीफा नहीं दिया, इसलिये मैं भी जा रहा हूं।

(श्री नगीना सिंह सदन त्याग कर चले गये।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय सहकारिता मंत्री जी ने यह कहा कि विरोधी दल तो बड़े दिलचस्प ढंग से नाटकीय बातों को करने के लिये रहता है। मान्यवर, हम भी विरोधी दल में रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने अपने मुख से यह माना कि जब वह विरोधी दल में थे तो नाटक करने के लिये बैठते थे, न कि विरोधी दल का काम करने के लिये। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह बतला देना चाहता हूं सरकारी पक्ष को, कि यह विरोधी दल नाटक करने के लिये यहां नहीं है, बल्कि जो मौलिक प्रश्न हैं जनता के और इस प्रदेश के, जो संसदीय प्रक्रिया के प्रश्न हैं, जिनकी संविधान द्वारा रक्षा होती है, हम उनके प्रति जागरूक हैं और यह विरोधी दल यह कार्य करना चाहता है। इसलिये श्रीमन्, कोई भी व्यक्ति जो इस सदन का सदस्य नहीं है, इस सदन का नेता नहीं हो सकता, नियम के अनुसार, संविधान के अनुसार, पार्लियामेंट के अनुसार, विधान सभा के अनुसार। श्रीमन्, यह ठीक है कि ५ दलों ने मुख्य मंत्री जी को चुना था, लेकिन किसी भी दल को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी व्यक्ति को एसेम्बली का मेम्बर चुन सके। यह अधिकार तो केवल जनता का है कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र से अपना सदस्य चुने। श्रीमन्, आज आपके पद की परीक्षा है, आपकी परीक्षा है कि आपको इस पर निर्णय करना है, इस सदन की मर्यादा की रक्षा करना है। किसी भी देश की पार्लियामेंटरी पद्धति इस बात की इजाजत नहीं देगी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस सदन का सदस्य नहीं है, वह नेता-सदन कहलाया जा सके—ऐसा करने की इजाजत कोई भी नहीं देंगे।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है · ·

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं।

श्री छांगुर—

श्रीमन्, आपको निर्णय देने के पहले सबकी बात सुनना चाहिये और अगर आप सुन लेंगे तो स्थिति और आसान हो जायगी, इसलिये आप मेरी भी बात सुन लें · · ·

श्री अध्यक्ष—

आपका यह प्रश्न बहुत उचित है और इस पर जो दोनों दलों की राय व्यक्त की गई है, वह भी महत्वपूर्ण है। जो भी चीजें यहां कोट की गई हैं वह ऐसी हैं जिनके ऊपर विचार करने के लिये समय चाहिये और जब तक उन पर विचार न हो जाय कुछ कहा नहीं जा सकता। पार्लियामेंट में यह प्रथा है और कुछ रूल्स भी बन गये हैं। ये रूल्स सन् १९६६ के पहले नहीं थे। "Leader of the House means 'Prime Minister, if he is a member of the house." इससे यह स्पष्ट है कि वह लीडर आफ दी हाउस नहीं हो सकता जब तक वह मेम्बर न हो और "A minister who is a member of the house and is nominated by the Prime Minister." तो इस तरह से चीफ मिनिस्टर तो हो गये, लेकिन नेता-सदन वाला सवाल महत्व का है। आज आपकी पार्लियामेंटरी सरकार है और जगह की भी सरकार है, आज पार्लियामेंट में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, जिनसे हम बाध्य नहीं हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, हम बाध्य इसलिये नहीं हैं कि पार्लियामेंटरी कोई यहां ऐसी प्रथा नहीं है जब तक कि हम अपने यहां नियम न बना लें। यहां की कोई ऐसी प्रथा बनी नहीं है लेकिन वहां पर जब ऐसा अवसर आया कि इन्दिरा गांधी जी राज्य सभा में थीं इसलिये उनको बाध्य होकर यह तय करना पड़ा संसदीय तरीके से कि नेता सदन लोक सभा का होगा।

[श्री अध्यक्ष]

उनको इस तरह की चीज बना देनी पड़ी। इस तरह की जो चीज हुई है तो उसके बाद यह रूल बना और उस चीज को सब लोगों ने मंजूर कर लिया। जब आप इस प्रथा को मंजूर करेंगे कि बाहर का व्यक्ति चीफ मिनिस्टर हो जाय तो वह नेता सदन विधान सभा का नहीं होगा। यह प्रथा मंजूर करेंगे और वह नियम बन जाय तो उसके बाद वह प्रथा चालू हो जाय। अगर आज उस प्रथा को चालू करना चाहें तो मुख्य मंत्री जी अभी खड़े होकर कह सकते हैं कि विधान सभा का नेता अमुक मंत्री होगा। मंत्री बनने का प्रश्न नहीं उठता है। प्रश्न तो केवल नेता सदन का है। यह प्रथा का सवाल है। अगर आप उस प्रथा को कायम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसलिये मैं एक रोज का समय आपको देना चाहता हूं। आज आप इसके ऊपर मुझसे निर्णय न लीजिये अगर आप मुझको कुछ सलाह देना चाहते हैं तो दे सकते हैं।

शिक्षा मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

ऐसी प्रथा यहां पर पहले से है।

श्री अध्यक्ष—

मुझे अपने यहां कार्यवाहियों की फाइलें देखनी पड़ेंगी।

शिक्षा मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

यहां पर श्री चन्द्रभानु गुप्त तथा श्रीमती सुचेता कृपालानी इसी तरह से चीफ मिनिस्टर हुये हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं आज का कार्यक्रम स्थगित करता हूं और अब हम कल बैठेंगे।

(इसके बाद सदन १२ बजकर २४ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
७ दिसम्बर, १९७०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत ता० प्र० १०–११ का उत्तर पाछे पृष्ठ १० पर]

विधान सभा के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित श्री इम्तियाज हुसेन तथा अन्य ६ सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या १० से संबंधित सूचना

परमिट संख्या ५८० श्री अहमद सईद खां, बुलन्दशहर को स्वीकृत है और दिनांक ११–९–७० तक वैध था। इस परमिट पर गाड़ी संख्या यू० पी० पी० १४६१, १–५–६४ से १०–४–६६ तक तथा यू० पी० पी० १७९५, ११–४–६६ के बाद चलाई गई। इनके क्रमश: २ व १ बार चालान किया गया था।

परमिट संख्या ८०२ सर्वश्री कपूर चन्द व देवेन्द्र कुमार जैन को स्वीकृत है व २४–३–६९ तक के लिए वैध था। प्रश्नगत अवधि में इस परमिट पर गाड़ी संख्या यू० एस० बी० ३४६७ चलाई गई। १–५–६४ से १–५–६७ तक के बीच इसका कोई चालान नहीं हुआ।

परमिट संख्या ८३७ श्री सुल्तान सिंह जैन, बड़ौत, मेरठ को स्वीकृत है व २४–३–६९ तक के लिये वैध था। प्रश्नगत अवधि में इस परमिट पर यू० एस० बी० २८९८, १–५–६४ से २४–९–६५ तक व यू० एस० डी० ६५०२, २५–९–६५ के बाद चलाई गई। परमिट के नवीनीकरण के दिनांक २२–२–६६ तक इन गाड़ियों का कोई चालान नहीं हुआ। परन्तु नवीनीकरण के पश्चात से १–५–६७ तक दो चालान हुये। एक दिनांक ३–१२–६६ को व दूसरा २–४–६७ को।

विधान सभा के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित श्री इम्तियाज हुसेन तथा अन्य ६ सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या ११ से संबंधित सूचना

परमिट संख्या ५८० का नवीनीकरण प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के आदेश दिनांक जुलाई ३/४, १९६४ द्वारा स्वीकृत हुआ इसके पश्चात् दूसरा नवीनीकरण प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के आदेश दिनांक अगस्त १४, १६ से १८, १९६७ द्वारा स्वीकृत हुआ। १२ सितम्बर, १९६७ से ११ सितम्बर, १९७० तक की अवधि का नवीनीकरण करते समय प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी, मेरठ को २० जुलाई, १९६४ से १९ जुलाई, १९६७ तक की अवधि में हुये चालानों पर विचार करना अपेक्षित था परन्तु गाजियाबाद चेक पोस्ट पर प्रारम्भ में केवल एक ही लिपिक की नियुक्ति थी और वह कार्य की अधिकता के कारण सूचना न दे सके तथा इनका विवरण प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका और इन चालानों पर विचार न हो सका। इसके लिये उस लिपिक को अधिक सतर्कता बरतने के लिये कड़ी चेतावनी दे दी गई है। तत्कालीन सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), गाजियाबाद की मृत्यु हो गई है अत: इस सम्बन्ध में अधिक स्पष्टीकरण प्राप्त करना सम्भव नहीं है।

परमिट संख्या ८०२ का प्रश्नगत अवधि में नवीनीकरण प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के आदेश दिनांक २२ फरवरी, १९६६ द्वारा स्वीकृत किया गया था। १ मई १९६४ से १ मई, १९६७ तक की अवधि में इस परमिट पर चलने वाली गाड़ी का कोई चालान नहीं हुआ था अत: नवीनीकरण स्वीकृत करते समय चालानों पर विचार करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

परमिट संख्या ८३७ का नवीनीकरण प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी, मेरठ के आदेश दिनांक २२–२–६६ द्वारा स्वीकृत किया गया था। १ मई,सन् १९६४ से उपर्युक्त नवीनीकरण के दिनांक तक इस परमिट पर चलने वाली किसी गाड़ी का कोई चालान नहीं हुआ था अत: दिनांक २२–२–६६ को नवीनीकरण स्वीकृत करते समय चालानों पर विचार करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। परन्तु नवीनीकरण के पश्चात् ३ चालान दिनांक ३–१२–६६, २–४–६७ तथा १४–६–६७ को हुये जिनको जुलाई ७ से जुलाई १०, १९७० को हुई प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी, मेरठ की बैठक में परमिट के नवीनीकरण के प्रश्न पर विचार करते समय ध्यान में रखा गया और इन्हीं के कारण नवीनीकरण अस्वीकृत कर दिया गया।

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत ता० प्र० १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १० पर]

सन् १९६९–७० में कानपुर क्षेत्र में निम्नलिखित मार्गों पर नगर बस सेवायें चलाने की मांग अधिकारियों से ली गई :—

१—फर्रुखाबाद से कमालगंज।
२—फतेहगढ़ से मुहम्मदाबाद।
३—फतेहगढ़ से खिमसेपुर।
४—फतेहगढ़ से फैजबाग।
५—फतेहगढ़ से हथियापुर।
६—फर्रुखाबाद से राजेपुर द्वारा फतेहगढ़।
७—फतेहगढ़ से गुरसहायगंज।
८—कानपुर रेलवे स्टेशन से सिकढ़ियापुरवा।
९—बड़ा चौराहा (कानपुर) से शिवराजपुर।
१०—मूलगंज (कानपुर) से जाजमऊ।
११—मूलगंज (कानपुर) से जाजमऊ वाया परमट घाट
१२—रेलवे स्टेशन (कानपुर) से अरमापुर।
१३—रेलवे स्टेशन (कानपुर) से जाजमऊ वाया कृष्णानगर।
१४—रेलवे स्टेशन (कानपुर) से 'के' ब्लाक किदवई नगर।
१५—रेलवे स्टेशन (कानपुर) से जाजमऊ वाया मरे कम्पनी।
१६—रेल बाजार (रेलव स्टेशन प्लेट फार्म नं० १) से डी० ए० एस० कालेज, गोविन्दनगर।
१७—बड़ा चौराहा (कानपुर) से पनकी पावर स्टेशन।
१८—गुमटी नं० ५ से गोविन्दनगर वाया फर्टीलाइजर फैक्ट्री।
१९—कानपुर सिटी से चकेरी।

उपरोक्त मार्गों में से निम्नलिखित मार्गों पर बसें चलाना प्रारम्भ कर दिया गया है : —

मार्ग का नाम	संचालन की तिथि
१—फर्रुखाबाद–कमालगंज	५–३–७०
२—फतहगढ़–मुहम्मदाबाद	५–३–७०
३—फतेहगढ़–खिमसैपुर	५–५–७०
४—फतेहगढ़–फैजबाग	५–३–७०
५—फतेहगढ़–हथियापुर	२४–१–७०
६—कानपुर रेलवे स्टेशन–सिकढ़ियापुरवा बिन्दगी रोड ..	२६–२–७०
७—बड़ा चौराहा–शिवरापुर	२–४–७०

उपरिलिखित मार्गों के अतिरिक्त नीचे लिखे हुए मार्गों पर भी बस सेवा चलाने के आदेश दे दिये गये हैं :—

१—कानपुर से (बड़ा चौराहा से) चकेरी।
२—रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नं० १ से डी० ए० एस० कालेज, गोविन्दनगर।
३—बड़ा चौराहा से पनकी पावर स्टेशन।
४—गुमटी नं० ५ से गोविन्दनगर वाया फर्टीलाइजर फैक्ट्री।

शेष मार्गों पर सिटी बस सेवा चलाने का कोई विचार नहीं है।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २१७ एल० ए०—१९७१—८४५।